TITLE CODE : UPHIN49731
राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, संयुक्तांक : 06-07 आजमगढ़ • दिसंबर-जनवरी 2022 • मूल्य : ₹30



यूपी चुनाव

ये भी मुद्दे होने चाहिए

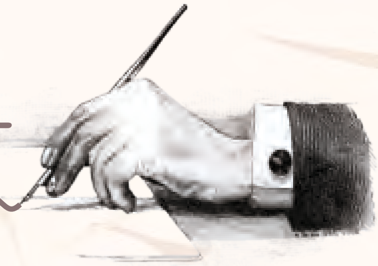
- जाति जनगणना बनाम नौकरियों में लोगों की गणना
- एससी एसटी उत्पीड़न महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध
- सवर्णों की ज्यादा भागीदारी दलितों पिछड़ों की हकमारी
- जातीय वर्चस्व बनाम सामाजिक न्याय
- घर वापसी बनाम शहरों के नाम वापसी

86 में 56 यादव

एसडीएम का झूठ और

वर्तमान का सच

संपादकीय



हाल में धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने के मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर नई बहस को जन्म दिया है, कितने दिनों तक हिंदू बने रह पायेंगें ये देखने वाली बात होगी। इतिहास में हिंदू बनने के उदाहरण नही मिलते हैं। यह मोटिवेटेड या कि हिंदू बनने का अभिनय जैसा है या नही? यह देखने वाली बात होगी कि हिंदू बनकर वे किस जाति व्यवस्था में आएंगे। इस जाति वाले स्वीकार करेंगे या नही? उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन यह उलटी नदी बहाने के समान है। जम्मू द्वीपे भारत खंडे में धर्म परिवर्तन के उदहारण विशेष कर वर्ण/जाति व्यवस्था जकड़े समाज के लिए धर्म मुक्ति या स्वत्रंत्रता का मार्ग बना भले मार्ग में गंदगी या कमियां रही हो। आज का पंजाब, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी कभी हिन्दू व्यवस्था का ही अंग थे, लेकिन 4-5 सौ सालों में भारतीय उपमहाद्वीप में एक तिहाई से ज्यादा लोग कब और कैसे सिख, इसाई या मुसलमान बने, इसका लेखा जोखा आज की तारिख में दिलचस्प होगा जो भी लोग जाति के जकड़न से निकलना चाहे, उन्होंने जो मार्ग निकला, जो पथ बनाने की कोशिश की वह पथ आगे चलकर पंथ या फिर जाति में तब्दील हो गया। जैसे की कबीर को मानने वाले देश के कोने कोने में फैले हो सकते हैं, लेकिन कबीर की राह पर चलने वाले कबीर पंथी होकर रह गए। जैसे छतीसगढ़ में सतनामी आंदोलन जाति की जकड़नों को तोड़ने का आंदोलन था। घासीराम ने कबीर को पढ़ा-समझा था, ये तो शोध का विषय है, लेकिन मध्य भारत की पिछड़ी और दलित जातियों को सतनाम का पाठ पढ़ाया, लेकिन बाद में चलकर सतनामी एक जाति बन गई, जिसमें कृषक जातियों से लेकर अछूत शिल्पकार जातियों के लोग शामिल हुए। कालांतर में सतनामी एक जाति बन कर रह गए है। दक्षिण के राज्य केरल में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए हैं विशेषकर पिछली दो तीन शताब्दियों में। भारत के संविधान में धर्म या पंथ से निरपेक्ष रहने की कल्पना गणराज्य के रूप में की गई है, लेकिन संविधान में लोगों को इस बारे में पूरी आजादी है कि वे अपना धर्म, विचार, विश्वास माने या न माने। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा/व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन धर्म परिवर्तन या धार्मिक स्वतंत्रता पर कई तरह के किंतु परंतु देखने- सुनने को मिल रहे हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

कुछ राज्यों की विधानसभाओं में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की बात भी दिख रही है। राजस्थान सरकार ने तो धर्म परिवर्तन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति तक लिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की भी बात चली है, हालांकि अभी कानून नहीं बन सका है। यदि इस तरह का कोई भी कानून बनता है तो संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारों (मौलिक अधिकारों) की मूल भावना को ठेस पहुंचाएगा।

धर्म की स्वतंत्रता में एक पक्ष बार-बार कहा जाता है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हाल में दो लोगों द्वारा हिंदू धर्म को स्वीकार करना लालच का विषय है या पदलोलुपता या भय है, या धर्म की स्वतंत्रता। यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन आदिवासियों या हिंदू व्यवस्था में अछूत या छूतशूद्रों द्वारा धर्म की स्वतंत्रता/लालच देकर धर्म की स्वतंत्रता या आपकी इज्जत मर्यादा की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन के परिपेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले बिहार में एक दलित लड़की की बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय न मिलने पर हिंदू धर्म छोड़ने की बात कहना भले ही केवल सोशल मीडिया पर रहा और अखबारों की सुर्खियां नहीं बना लेकिन यह पक्ष झलकता है कि लोगों ने अपनी रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन किया। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों में इसाई मिशनरियों द्वारा द्वारा लालच देकर परिवर्तन कराए जाने, मिशनरियों पर हमला करने और कभी-कभी आपसी संघर्ष की भी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसे कानून बनाकर रोका जाना कितना कानून सम्मत होगा और कानून बनाया गया तो कितना संविधान सम्मत होगा, यह तो समय बताएगा लेकिन इतना तय है कि धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान में किया जाना 20वीं सदी में भारत के संदर्भ में मील का पत्थर भले रहा हो लेकिन धर्म परिवर्तन/ नए धर्म/ पंथ की स्थापना भारत में बहुत पुराना और जाना पहचाना विषय है। गौतम बुद्ध के समय सैकड़ों विचार फले फूले। कबीर पंथ भी खूब बढ़ा। नानक के विचार तो एक मजबूत धर्म दे गया। लिंगायत, जैन भी फले-फूले लेकिन नए पंथ की स्थापना की भी व्यवस्था करके संविधान बनाने वालों ने अपनी राय साफ कर दी थी। अब ये आजादी कायम रखना भारत के लोगों के ऊपर निर्भर करेगी।

फिलहाल 21वीं सदी के 21वें साल के अंतिम और नए महीने की बसावन इंडिया आपके सामने है। 5 राज्यों के लोग इन तमाम मुद्दों के साथ धार्मिक आजादी पर भी अपनी राय बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ...

नरेन्द्र

TITLE CODE : UPHIN49731
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह - दिसम्बर - जनवरी
सन् - 2022 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक - 6-7

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
डॉ. श्रद्धा
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छतीसगढ़ - गणेश सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादूर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील
कुशीनगर - कोमल प्रसाद

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
प्रभाकर प्रिंट हाऊस
+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 945317170

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप
द्वारा मेट्रो प्रिंटिंर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व तथागत शहीद द्वार, सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन - 276 001 से प्रकाशित।

इस अंक की झलकियां









86 में 56 यादव एसडीएम का
झूठ और वर्तमान का सच



▪ **राजकुमार**

सूबे के मुखिया योगी आदित्य नाथ द्वारा 86 में 56 यादव एसडीएम की भ्रामक बयानबाजी भले ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए के लिए की गयी हो लेकिन योगी जी के इस बयान से प्रदेश के यादव आहात हैं। योगी जी पिछले पांच सालों से सत्ता में है, एक केंद्रीय एजेंसी सीबीआई द्वारा जाँच भी चल रही है लेकिन अभी तक किसी को पकड़ नही पाए और न ही उस दौर में हुई भर्तियों का जातिवार आकड़ा सार्वजानिक किये, फिर 86 में 56 यादव की बयानबाजी क्यों?

भले ही 86 में 56 यादव की झूठी खबर से यादवों को अलग थलग कर एक बार सत्ता सुख हासिल हो गया, यादवों को आगे कर आरक्षण पर प्रहार कर कैसे अन्य ओबीसी जातियों के हितों को ठेस पहुंचाई गयी? बसावन इंडिया अपने इस बार के अंक में योगी जी के बयान का पोस्टमार्टम कर, तथ्यों के आधार पर आरक्षित वर्ग के साथ हुई हकमारी को प्रस्तुत कर रही है।साथ ही साथ बानगी के तौर पर बसावन इंडिया कुछ पदों का, जिनपर आरक्षित वर्ग के हितों की हकमारी हुई है, प्रस्तुत कर रही है।

▪ **सपा सरकार में यादव एसडीएम**

वर्ष 2011,2012 और 2013 के तीन वर्षों में कुल 97 एसडीएम के पदों पर चयन किया गया। 97 मे से एक जाति के तौर पर सबसे अधिक ब्राह्मण थे जिनकी संख्या 26 थी। तीन वर्षों में पूरी की पूरी भर्ती में कुल 14 यादव चयनित हुए थे 29 अन्य ओबीसी,18 अनुसूचित



लौटन राम निषाद
नेता - कांग्रेस

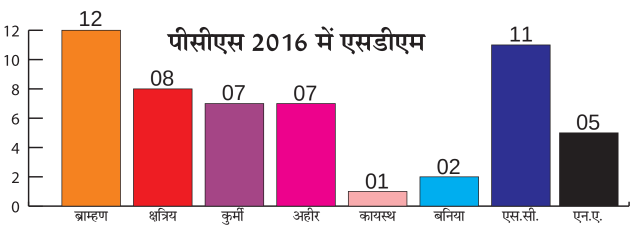
2013 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किये गए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हर मंच से यह दुष्प्रचार करते रहे कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोंगों को नौकरी दी जा रही है। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव जी के पूरे कार्यकाल में कुल 97 एसडीएम पद पर नियुक्ति हुई जिसमें 14 यादव, 29 गैर यादव 18 अनुसूचित जाति के शेष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी एसडीएम चयनित किये गए। पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि कौवा कान लेकर गया,लोग अपना कान नही देखते है, पेड़ की डाल को देखते हैं कि कौवा मेरा कान लेकर कहाँ चला गया। भाजपा के छल कपट झूठ फरेब के बहकावे में आकर सारी पिछड़ी जातियों ने भाजपा के झूठ फरेब को सच मान लिया और 86 में 56 यादव की बात को स्वीकार कर लिया, जबकि सच्चाई यह थी कि 86 में 56 नही 97 में 14 यादव एसडीएम हुए थे। भाजपा हमेशा छल कपट झूठ फरेब की राजनीती करती है। यादव – गैर यादव के बीच में, जाटव – गैर जाटव के बीच में, हिंदू – मुसलमान के बीच में नफरत की भावना, आपसी टकराव करा कर राजनीतिक लाभ लेती है।



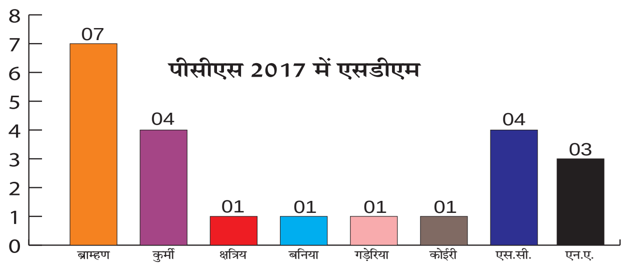
अखिलेश गुप्ता गुड्डु
समाजवादी छात्रसभा इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में जब 86 में 56 यादव एसडीएम की जब खबर उड़ाई गई। डॉ. अनिल यादव उस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर थे। वास्तविकता यह थी कि डॉ. अनिल यादव ने लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली को सुचारू रूप से लागू कर दिया था जिसकी वजह से सामान्य वर्ग की सीटों (ओपन फॉर आल) पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहुंचनें लगे थे जिसका परिणाम यह हुआ कि डॉ. अनिल यादव सवर्णों को खटकने लगे। उन पर कई तरीके के झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। भाजपा ने तो आयोग के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हुए फूट डालों और राज करो की रणनीति अपनाई, बाकायदा सीबीआई जाँच भी करवाई लेकिन अभी कुछ प्राप्त नही हुआ।

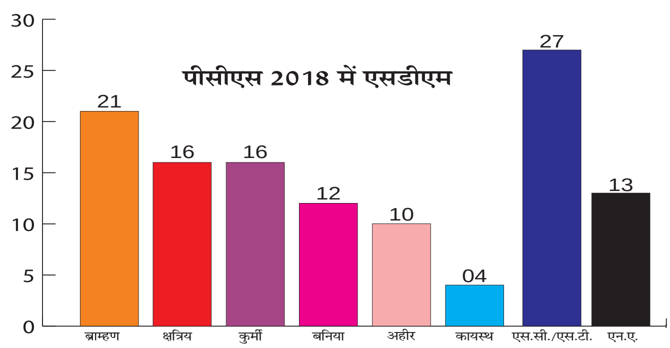
भाजपा सरकार में एसडीएम



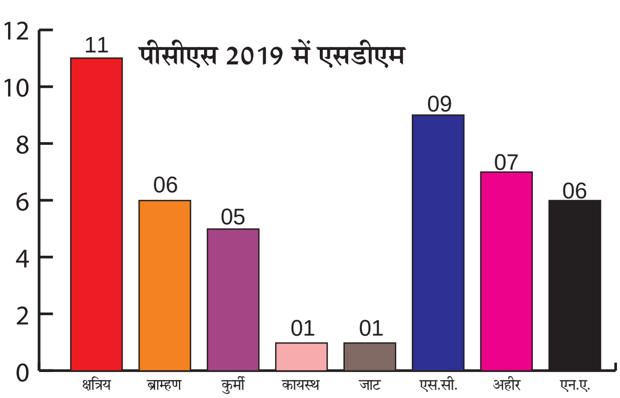
पीसीएस 2016 का परिणाम भाजपा शासन काल में आया। पीसीएस 2016 में एसडीएम के कुल 53 पद थे जिनमें से 12 ब्राहमण, 8 क्षत्रिय, 7 कुर्मी, 7 अहीर, 1 कायस्थ 2 बनिया और 11 अनुसूचित जाति के थे, शेष पांच की जाति का पता नही चल पाया ।



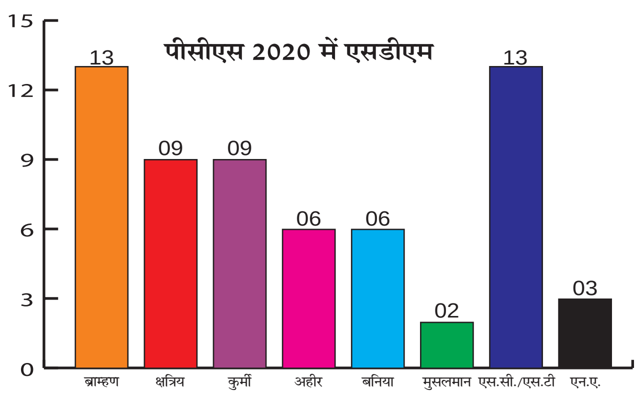
पीसीएस 2017 में एसडीएम के कुल 22 पदों के सापेक्ष किसी भी यादव टाईटिलधारी अभ्यर्थी का चयन नही हुआ। 2017 में चयनित अभ्यर्थियों में 7 ब्राह्मण,4 कुर्मी,1 क्षत्रिय,1 बनिया,1 गड़ेरिया,1 कोईरी और 4 अनुसूचित जाति के थे शेष 3 की जाति का पता नही चल पाया।



पीसीएस 2018 में एसडीएम के पदों की बहार रही। 119 पद सिर्फ एसडीएम के आये, जिनमें सबसे अधिक ब्राह्मण 21, क्षत्रिय 16, कुर्मी 16, बनिया 12,अहीर 10, कायस्थ 4 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ,शेष 13 अभ्यर्थियों की जाति का पता नही चल पाया ।



पीसीएस 2019 में एसडीएम के पदों की संख्या 46 रही, जिनमें 11 क्षत्रिय,6 ब्राहमण,5 कुर्मी,1 कायस्थ,1 जाट,9 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 2019 में भी 7 अहीरों का चयन हुआ। विगत कई वर्षो में ऐसा पहली बार हुआ कि ब्राहमणों से अधिक क्षत्रियों का चयन हुआ। शेष 6 अभ्यर्थियों की जाति का पता नही चल पाया|



पीसीएस 2020 में एसडीएम के 61 पदों के सापेक्ष 13 ब्राहमण, 9 क्षत्रिय,9 कुर्मी, 6 अहीर,6 बनिया,2 मुसलमान,12 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन हुआ। शेष 3 की जाति का पता नही चल पाया।



अविनाश विद्यार्थी
छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय

एसडीएम पदों पर चयन के लिहाज से भाजपा का समय यादवों के लिए अधिक अनुकूल था।सपा और भाजपा सरकार में आए पीसीएस परीक्षा परिणामों में एसडीएम पदों पर यादवों के चयन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भाजपा शासन काल में सपा के शासन काल से अधिक यादवों का चयन एसडीएम पदों हुआ। पीसीएस परीक्षा में एसडीएम पदों पर चयन के लिहाज से भाजपा का समय यादवों के लिए अधिक अनुकूल रहा लेकिन यह सिर्फ एसडीएम पदों तक ही सीमित रहा। 86 में 56 यादव एसडीएम बोलते हुए योगी जी यह क्यों भूल हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जाति को सार्वजानिक करने में बहुत वक्त थोड़े न लगेगा। पिछली सरकार में चयनित सभी एसडीएम की जाति को सार्वजानिक क्यों नही करते हैं ? इस समय क्या हो रहा है सबको पता है सिर्फ और सिर्फ सवर्णो का चयन किया जा रहा है अपनी सरकार में और पिछली सरकार के चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार आकड़ों को सामने कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश के 75 जिलों में से ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी या तो ठाकुर हैं या ब्राहमण। कई जिलों के थानों में तो हालत यह है कि 90 फीसदी थानेदार ठाकुर और ब्राह्मण हैं। अब कहाँ गया सबका साथ सबका विकास का नारा? काठ की हांड़ी बार बार नही चढ़ती है। दलित पिछड़े एक बार उनके बहकावे में आ चुके हैं अबकी कोई उनकी बात कोई नही मानेगा|

जाति के शेष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी एसडीएम चयनित किये गए। जातियों की गणना के लिए आयोग के बाहर मिलाने वाली मैरेज लिस्ट को आधार बनाया गया था।

कोचिंग संस्थानों और स्थानीय मीडिया के पत्रकार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में असफल हो चुके थे अपना सारा अवसाद आयोग के अध्यक्ष पर निकाने में कामयाब हुए। 86 में 56 की भ्रामक खबर चलने में कामयाब हुए। त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने का परिमाण यह हुआ डॉ. अनिल यादव मीडिया के निशाने पर आ गए और कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें आयोग के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा।

डॉ. अनिल यादव के आयोग के अध्यक्ष पद से हटने के बाद पीसीएस 2014 का रिजल्ट आया, जिसमें विवादों से बचने के लिए आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम सार्वजानिक नही किया। बसावन इंडिया को सूत्रों से ज्ञात हुआ कि 2 यादव अभ्यर्थी चयनित हुए थे।पीसीएस 2015 के रिजल्ट में एक यादव में टाईटिलधारी अभ्यर्थी का चयन हुआ वो भी सामान्य श्रेणी में, क्यों की उक्त अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण का लाभ नही मिल सकता था। पीसीएस 2015 का रिजल्ट सपा शासन का अंतिम परिणाम था।

- **खेल कहाँ हुआ ?**

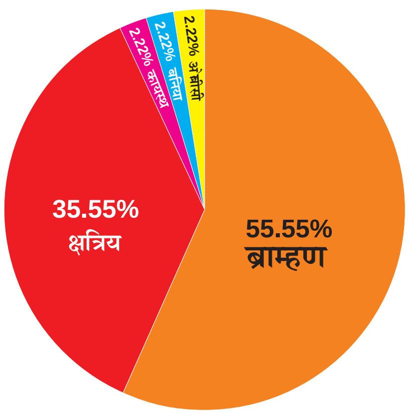
सपा सरकार में में तो विवाद की जड़ एसडीएम के ही पद थे लेकिन भाजपा सरकार में एसडीएम पदों की आड़ में पीसीएस के अन्य प्रभावशाली पदों पर यादव समेत अन्य ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य ही रहा। आरक्षण वर्तमान सरकार में किस प्रकार से रहा इसकी समीक्षा आरक्षित वर्ग के रिजल्ट के आधार पर करेंगें। इसके लिए बसावन इंडिया टीम ने 6 महीने तक लगातार शोध किया है और विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को इकट्ठा किया है।



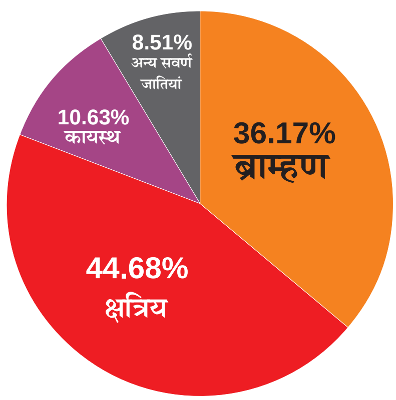
वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के पीसीएस परिणामों के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार थे। प्रभात कुमार ने सरकार की मंशा के अनुसार काम किया, इनमे कहाँ और कैसे कैसे इस दौरान कई ऐसी भी परीक्षाएं आयोग द्वारा संपन्न हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों के लिए परीक्षा जो 2008 के बाद संपन्न हुई। परीक्षा में आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। जिसे लेकर प्रतियोगी छात्र बड़े पैमाने पर आंदोलित रहे लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नही हुई।

पीसीएस 2017 के अंतिम परिणाम में एसडीएम पदों को छोड़ दिया जाए दूसरा महत्वपूर्ण पद डिप्टी एसपी का था। डिप्टी एसपी का 90 पदों के लिए अंतिम रूप से चयन हुआ जिसमें 45 पद अनारक्षित श्रेणी (ओपन फॉर आल) के थे और 45 पद आरक्षित श्रेणी के लिए थे। आरक्षित पदों में 24 पद अन्य पिछड़ा वर्ग,19 अनुसूचित जाति और 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए थे। अनारक्षित श्रेणी के डिप्टी एसपी के पदों में एक अहीर और एक लोहार जाति के अभ्यर्थी ही पहुंच पाए, शेष 43 पदों पर सवर्ण अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिसमें 25 ब्राहमण, 16 क्षत्रिय, 1 बनिया और 1 कायस्थ जाति से थे।

पीसीएस 2018 के अंतिम परिणाम में डिप्टी एसपी के 94 पदों में एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को सामान्य श्रेणी में क्वालीफाई नही करवाया गया। जबकि पिछली परीक्षाओं में ओबीसी के कैंडिडेट सामान्य श्रेणी में पहुंच जाया करते थे। सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट में 17 ब्राहमण,21 क्षत्रिय,5 कायस्थ, शेष 4 की जाति का पता नहीं चल पाया|



पीसीएस 2017 के डिप्टी एस.पी. के अनारक्षित सीटों पर हिस्सेदारी

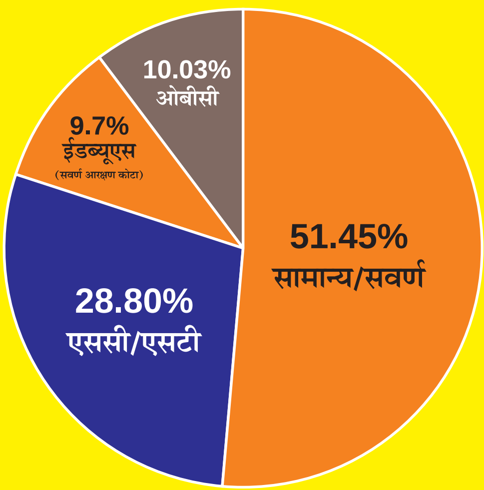


पीसीएस 2018 के डिप्टी एस.पी. के अनारक्षित सीटों पर हिस्सेदारी

60 लाख लेकर हुई एसडीएम की भर्ती ?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में राज्य आधारित सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, न्यायिक एवं अन्य अधीनस्थ सेवाओं के आयोजन के लिये 'राज्य लोक सेवा आयोग' की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह आयोग इन सेवाओं से संबद्ध परीक्षाओं का आयोजन कराता है। राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सर्वाधिक लोकप्रिय परीक्षा 'पी.सी.एस.' (प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज़) परीक्षा है। 'पी.सी.एस.' परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य विशेष के प्रशासन के अंग होते हैं जिनकी नियुक्ति उस राज्य विशेष में ज़िला, प्रखंड व तहसील स्तर पर की जाती है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) के फाइनल रिजल्ट पर आरक्षण को लेकर आयोग चर्चा में रहा, पिछड़े वर्ग वर्ग के अभ्यर्थियों में बीईओ के फाइनल रिजल्ट में ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी 309 पदों के लिए एक संक्षिप्त विज्ञापन निकाला गया। जिसके लिए लगभग 5 लाख 28 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन (candidates registration) किया। अगस्त 2020 में प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न हुई। योग ने कुल 309 विज्ञापित सीटों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए 4182 अभ्यर्थियों को क्वालीफाई करवाया। मुख्य परीक्षा दिसम्बर 2020 में सम्पन्न हुई। 30 जनवरी 2021 को भर्ती का अंतिम परिणाम आ गया। फाइनल रिजल्ट में श्रेणीवार सामान्य वर्ग में 159 लोगों का चयन किया, जबकि ओबीसी वर्ग में मात्र 31 लोगो का,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए के लिए 89 और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति के 30 लोगों का चयन किया गया। प्रतियोगियों का कहना है कि लोकसेवा आयोग ने अपने संक्षिप्त विज्ञापन में वर्ग वाइज सीटों की संख्या स्पष्ट न करते संयुक्त रूप से 309 सीटों का जिक्र किया था। इस लिए उस समय अभ्यर्थियों को श्रेणीवार सीटों की संख्या का पता नही चल पाया था। जबकि अपने पूर्व के विज्ञापनों में लोक सेवा आयोग श्रेणीवार सीटों की संख्या बताता रहा है लेकिन बीईओ परीक्षा में शुरू से लेकर अंत तक लोक सेवा श्रेणीवार सीटों की संख्या छुपाता रहा।



खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों में हिस्सेदारी

विज्ञापित 309 सीटों सापेक्ष्य ओबीसी के लिए 84 सीटें होनी चाहिए थी लेकिन फाइनल रिजल्ट में ओबीसी को मात्र 31 सिटें दी गयी। अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण न देकर 10% ही दिया गया। ओबीसी,एससी,एसटी और EWS के जो अभ्यर्थी सामान्य सीटों पर क्वालीफाई कर जाते है उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाती है न कि अपनी श्रेणी में।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014-15 में 86 एसडीएम की भर्ती निकली थी और इस भर्ती में 42 लाख से 60 लाख रुपये तक लेकर भर्तियाँ की गई। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र है। भले ही उनकी यह बयानबाजी राजनीतिक हो कि आयोग की नियुक्तियां सरकार के प्रभाव में की जाती हैं आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचती है। एक संवैधानिक निकाय पर रेट तय करना वो भी तब जब कि योगी जी स्वंय प्रदेश के मुखिया हैं। ▪

@+91 9415084482


आशीष सरोज
प्रतियोगी छात्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार में 42 लाख से 60 लाख लेकर पीसीएस पदों पर भर्ती किये जाने की बात कही। योगी जी यह क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पांच साल का समय कम नही होता है, पांच सालों में ऐसे लोगों को पकड़ कर सामने क्यों नही लाये। यदि मुख्यमंत्री पैसे लेकर और और पैसे देकर नौकरी पाने वालों का नाम सार्वजानिक नहीं करते हैं तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों से साठ गांठ कर लिया है और जब योगी जी और उनके मंत्रियों को यह पता है कि आयोग में भर्तियाँ पैसे देकर की जाती हैं तो वो और उनके मंत्री भी पैसे देकर नियुक्तियां किये होंगे, यह सत्ता बदलाव के साथ उजागर हो जाएगा।

शिक्षक भर्ती में नौकरियों की चोरी

▪ नरेन्द्र प्रताप / डॉ. प्रमोद कुमार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सन 2000 में टीचर्स भर्ती घोटाले का मामला सामने आने पर 10 साल की सजा हुई थी। उस दौरान 3,206 जूनियर बेसिक टीचरों की भर्ती में चौटाला पर घोटाले का आरोप लगा था। यू.पी. में तो 18 हजार पदों का घोटाला हुआ। वरिष्ठ सामाजिक चिन्तक दिलीप मंडल का कहना है कि अगर इस घोटाले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नही थी तो वे निकम्मे मुख्यमंत्री हैं उनको नही पता कि उनके मंत्री घोटाला कर रहे हैं और यदि यह योगी आदित्यनाथ की जानकारी में हुआ है तो उनको जेल होनी चाहिए|69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला भारत का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है।


Dilip C Mandal
Favourites · 25 Dec 2021

यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री किसी द्विवेदी के नेतृत्व में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। 27% ओबीसी आरक्षण की जगह सिर्फ 3.86% ओबीसी आरक्षण लागू किया। एससी की भी 4% सीटें चुरा ली गईं।

अब चुनाव क़रीब देखकर सरकार आरक्षित वर्ग के 6,000 कैंडिडेट को नौकरी देकर लीपापोती कर रही है। जबकि चोरी 18,000 पदों की हुई है।

चोरी यानी विसंगति की बात सरकार ने मान ली है।

मामला सीधा है। सरकार अनरिज़र्व कट ऑफ़ के नीचे जिन 27% ओबीसी का सलेक्शन होना चाहिए, उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दे। एससी की भी पूरी लिस्ट आए। विवाद इस तरह ख़त्म होगा।

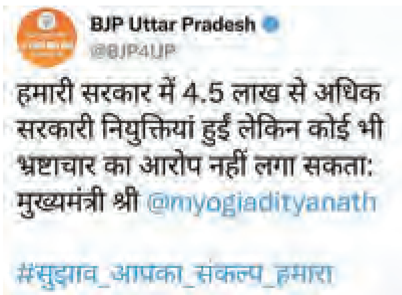
इससे सरकार डर क्यों रही है? अगर सचमुच आरक्षण लागू किया है तो पारदर्शिता से भय क्यों? सब कुछ गुप-चुप क्यों?

और अब जब मुख्यमंत्री ने खुद गड़बड़ी की बात मान ली है तो द्विवेदी अपने पद पर कैसे हैं? उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? शिक्षक भर्ती में ही तो हरियाणा के चीफ़ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला इतने साल जेल में रहे।

द्विवेदी के साथ रियायत क्यों?

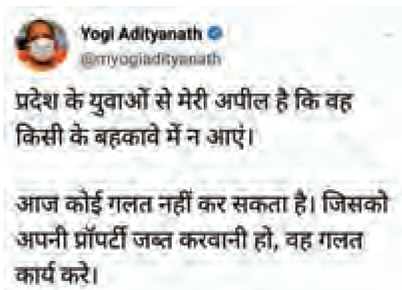

Dr Satish Dwivedi BJP
24 Dec 2021

69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17000 रिक्त पदों पर होगी नयी भर्ती।


BJP Uttar Pradesh
@BJP4UP

हमारी सरकार में 4.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हुईं लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath

#सुझाव_आपका_संकल्प_हमारा


Yogi Adityanath
@myogiadityanath

प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में न आएं।

आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, वह गलत कार्य करे।

69000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले की बात को मानते हुए सरकार 6000 नौकरियां देने पर तैयार हो गयी है। शेष सीटों के लिए सरकार फिर से विज्ञापन निकलेगी|शिक्षक भर्ती में हुए बड़े आरक्षण घोटाले के खिलाफ जब अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार उनकी बात सुनने के बजाए लाठी मार रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर प्रदर्शन के दौरान आश्वासनों के साथ लाठियां मिली|पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों तक को नही बक्सा, कई को भयानक चोटें





आई। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पर हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने आरक्षण घोटाले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और अभ्यर्थियों पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाने लगे|स्वंय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमकी भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए नौजवानों की संपत्ति जप्त कर लेने की बात कही।

उत्तर प्रदेश में चुनाव और प्रतियोगियों के लगातार बढ़ते दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा|वरिष्ठ सामाजिक चिन्तक दिलीप मंडल ने आंदोलनकारियों को बधाई देते हुए लिखा है कि यूपी के दलितों-पिछड़ों को जीत की पहली किश्त मुबारक हो। अगर लड़ाई न लड़ी गयी होती तो यूपी में आपके 6000 टीचर न बनते। हालांकि ये अधूरी जीत है।सरकार अब भी बेईमानी कर रही है। पूरी लिस्ट आज भी सार्वजानिक नही है। 12000 पदों का और घपला है। बसावन इंडिया ने अपने अगस्त अंक में शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

क्या था घोटाला

50.50% अनरिजर्व और 49.50% रिज़र्व सीट होती है।50% की खुली सीटों पर,अनारक्षित कट ऑफ (67.11)से ऊपर लगभग 28000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हो रहे थे,लेकिन वहां पर मात्र 13007 ओबीसी अभ्यर्थियों को (ओवरलैप) सिलेक्ट किया गया,उसके बाद ओबीसी का कोटा 27%(18598) में मात्र 2637 ओबीसी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया। जबकि सरकार और सरकार के चहेते मंत्री,अधिकारी गुमराह कर रहे है कि27%(18598) ओबीसी कोटा की जगह 31000 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया।

अभी भी गुमारह कर दोषियों को बचने का प्रयास कर रही है सरकार– सरकार ने भर्ती में घोटाले की बात तो मान ली लेकिन आरक्षित वर्ग के 6000 कैंडिडेट को नौकरी देकर लीपापोती कर रही है जब की चोरी 18000 पदों की हुई है। सरकार ने इस भर्ती घोटाले को सिर्फ विसंगति माना है जब कि यह आरक्षित पदों के चोरी की सुनियोजित साजिश है। सरकार साजिशकर्ताओं को बचने का प्रयास कर रही है। ▪



यूपी चुनाव के मुद्दे

▪ नरेन्द्र प्रताप

देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। माना जा रहा है कि जो उत्तर पदेश में आयेगा उसकी दिल्ली में पहुंच आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में कई रैलियां हुई। थोड़े दिनों के अंतराल में प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में दो दो रैलियां करनी पड़ रही है। चुनाव है तो सत्ताधारी दल को पांच सालों का लेखा जोखा भी देना पड़ेगा। कमोबेश उत्तर प्रदेश में पिचले पांच सालों से भाजपा सरकार भी है। भाजपा ने पिचले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में किया क्या है। कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और तेज भाग रही है। बसावन इंडिया अपने इस अंक में भाजपा के पिछले सालों का लेखा जोखा और जिन मुद्दों को लेकर सरकार और सरकार के लोग जनता के बीच जा रहे हैं उसका विश्लेषण करेगी।



भाजपा का मुद्दा

काशी मथुरा और अयोध्या में सघन राष्ट्रवाद – अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद



और काशी में काशी में विश्वनाथ मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना मथुरा है जहां से लोगों की धार्मिक आस्था का राजनैतिक लाभ लिया जा सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दावा कर चुके हैं कि अयोध्या काशी झांकी है मथुरा अभी बाकी है। साफ शब्दों में अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है।

पांच किलो फ्री राशन – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के चित्रों से सुसज्जित झोले/बोरियों में में पांच पांच किलो राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय लगभग अपनी हर जनसभा में बहुत जोर शोर के साथ इसका दावा करते हैं कि वह गरीबों को पांच किलो राशन फ्री दे रहे है। साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी फ्री राशन दिए जाने के बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा हैं।

महोत्सव पर महोत्सव – आजादी का अमृत महोत्सव, इसके कुछ दिनों पूर्व चौरी चौरा महोत्सव और न जाने कितने महोत्सव मनाये जा रहे है। सत्ताधारी दल राष्ट्रवाद के नाम पर जनभावनाओं को भुनाना चाह रही है। सरकार ने खादी महोत्सव का भी आयोजन किया था जिसके द्वारा लोगों को यह बताना उद्देश्य था कि हम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं।

जिन्ना का जिन्न– सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना पर की गई टिप्पड़ी को सत्तारूढ़ दल ने जबरदस्त उछाला।

गौ रक्षा – गायों को हिंदुत्व का प्रतीक मानते हुए सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक कई गौशालाओं की स्थापना की। गौ संरक्षण की दिशा



में कई काम किए।

इन सभी मुद्दों पर भाजपा पहले भी चुनव लड़ चुकी है और उसका प्रयोग सफल रहा है। लेकिन इनमे से अधिकतर में से विकास के मुद्दे,महगाई, रोजगार के मुद्दे गायब हैं। पिछले चुनावों में भाजपा ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनया था। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टालरेंस का नारा दिया था। पांच साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी सार्वजानिक मंच से भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी नही बोला गया। वर्तमान सरकार में अधिकतर मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों का ध्यान भटकाए। एक बार फिर से **धर्मम शरणम् गच्छामि** का सहारा लेते हुए काशी की ओर लोगों का ध्यान खीचा|अपने कई कार्यक्रमों में योगी जी ने और भाजपा के कई नेताओं ने जिन्ना को अखिलेश यादव से जोड़ते हुए इस मुद्दे को मंच से उठालकर इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जबकि इससे पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी ने स्वयं पाकिस्तान जा कर जिन्ना की माजर पर चादरपोशी की थी। सरकार ने गौ राष्ट्रवाद का सपना का सपना दिखया था लेकिन अब यही गायें लोगों के जी का जंजाल बन गयी हैं। गायों को एक धर्म विशेष से जोड़कर गायों को राजनीतिकरण कर दिया। गौशालाओं में रख रखाव के आभाव में बडी संख्या में गायें कुपोषित होकर मर जा रही हैं। इसके आलावा बछड़ों के बिकने से होने वाली आय से पशुपालकों को नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं से इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आवारा पशुओ की



वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो गयी है।

जनता के मुद्दे

विकास के मुद्दे- अख़बारों और समाचार चैनलों का मान लिया जाए तो चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर सरकार सिर्फ बाजीगरी कर रही है। विभिन्न प्रचार माध्यमो द्वारा बाते जा रहा है कि 'उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है।' अब प्रश्न यह उठता है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ? पिछले पांच सालों में किन किन योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास कर पूरा कर लिया गया।

महंगाई- महंगाई के मुद्दे पर सरकार और सरकार के लोग पूरी तरह से मौन है। पेट्रोलियम



पदार्थ और गैस के मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि से खाने पीने के सामान से लेकर हर वस्तु के मूल्य बढ़ गए हैं। माध्यम वर्ग और समाज का गरीब तबका महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। महंगाई का दूसरा पहलू गरीबी है। स्थिति यह है की गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांको में भारत की स्थिति बदतर हो गई है। देश का एक बड़ा तबका भूखा सोने को मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है।

भ्रष्टाचार- अबकी बार सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर नही बोल रही है। जनता कहने लगी है पहले जो काम 100 रुपये देकर



हो जाता था अब पांच सौ रुपये देकर भी नही हो रहा है।कई परीक्षाओं में पैसे लेकर पेपर लीक कर दिए गए। यहाँ तक की उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग भी इससे अछूता नही रह सका|

बेरोजगारी- रोजगार को लेकर सरकार द्वारा लम्बे लम्बे वायदे तो किये गए लेकिन वास्तविक



धरातल पर सरकार रोजगार पर फिसड्डी साबित हुई। चुनाव में लाभ के लिए सरकार ने भर्तियों को लम्बे समय तक रोके रखा। जिसका परिणाम यह रहा की बेरोजगारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। रोजगार की मांग कर रहे छात्रों पर कई कई बार लाठियां चलवाई गई। शिक्षा मित्रों का मुद्दा, बीएड बेरोजगारों का मुद्दा लगभग समूचे पांच सालों तक बना रहा|जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में साढ़े चार लाख सरकारी नौकरी और 1 करोड़ 71लाख युवकों को रोजगार दिए जाने का दावा किया है।

भर्तियों में आरक्षण को लेकर हकमारी- उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद यह स्वीकार लिया है कि 69000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था। भर्ती



में ओबीसी की लगभग 23% और एससी की 5% सीटें धोखाधड़ी द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों को दे दी गईं थी। अब जब इसका हल सुझाया जा रहा है तो 69 हजार से पूर्व विज्ञापन 68500 की बची सीटों में से 6000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ऐसे दी जा रही है जैसे कि उनपर एहसान किया जा रहा हो, वो भी नए विज्ञापन के जरिए।

किसानों की समस्याएं- एक साल से दिल्ली में नये कृषि कानूनों के विरोध में



आन्दोलन कर रहे किसानों की मांगे मान लिए जाने से भले ही किसान आंदोलन समाप्त हो गया हो लेकिन किसानों की क्षेत्रीय समस्याएं अभी बरक़रार हैं, गन्ना किसानों का करोड़ो रुपये चीनी मिलों पर अभी बकाया है। जब की सरकार 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुकतान का वादा करके सत्ता में आई थी। इसके आलावा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नही मिल पा रहा है, किसानों के हिस्से का एक बड़ा भाग बिचौलिए खा जा रहे है। किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं।



मुख्यमंत्री योगी के बोल -

जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारिख नजदीक आती जा रही वैसे वैसे नेताओं की प्रतिक्रिया भी बढाती जा रही। चूँकि उत्तर प्रदेश में पिचले पांच सालों से भाजपा सत्ता में है, इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के के बोल हम आपसे साझा कर रहे हैं, जिनके चेहरों पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों क्या क्या बोला, जो उप्र चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। किन किन मुद्दों को लेकर वो एक बार फिर से जनता की अदालत में जा रहे हैं-



- पहले की सरकारों में राम भक्तों पर चलती थी गोली, अब होती है पुष्पवर्षा
- मथुरा में तीर्थ स्थलों का विकास और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या सपा, बसपा और कांग्रेस करवाती?
- सपा सरकार में आतंकवादियों के मुक़दमे वापस होते थे।
- गाँधी जी के नाम पर राज दूसरों ने किया उनके सपने सच हमने किए|
- धाम बनेगा बुलडोजर चलेगा।
- चाचा भतीजा धर्म और जाति देखकर नौकरियां देते थे।
- वर्ष 2015 में सपा सरकार में उपजिलाधिकारी का रिजल्ट निकलता था तो 86 में से 56 एक जाति विशेष से आ जाते थे।
- 2014-15 में 86 एसडीएम की भर्ती 42 से 60 लाख रुपये लेकर हुई।

प्रधानमंत्री और उप्र के मुख्यमंत्री के बयानों से प्रदेश की मूलभूत समस्याएं और विकास के मुद्दे गायब हैं। चुनाव का केंद्र विकास न होकर आक्रामक हिंदुत्ववादी विचार, उग्र राष्ट्रवाद और संप्रदाय विशेष के विरुद्ध कड़वे बोल हैं।



सचिन जायसवाल
शोध छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ गलत तथ्यों के आधार पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इनके शासन में कोई भी परिक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक न हुआ हो। कई परिक्षाओं के पेपर तो दो-दो हजार में बिके। योगी जी पांच सालों में रेट पता कर पाए सिर्फ 60 लाख। रुपए, लेकिन पैसे देकर कौन लोग हुए इसकी सूची तक नहीं दे पाए। योगी जी उन 86 एसडीएम को दण्डित क्यों नही किया? तो क्या यह मान लिया जाए कि योगी जी उन 86 एसडीएम से साठ गांठ कर लिया है।





विभिन्न भाजपा नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ तक की स्वंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जिस तरह से हमलावर है, उसको देख कर लगता है कि भाजपा यह मान रही है की सपा से उसकी सीधी टक्कर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अभी तक सपा प्रमुख भाजपा के वाक युद्ध में रक्षात्मक रुख अख्तियार किये हुए हैं उन्हें दो कदम आगे बढ़कर आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ेगा नही तो भाजपा जैसी राष्ट्रीय दल के सामने टिक पाना संभव नही होगा|

विकास का मुद्दा - पांच साल पहले किये गए विकास कार्यो के बारे में बताया जा रहा है। विकास के लिए भावी रणनीति के बारे में खुलकर कभी नही बोले।

रोजगार- रोजगार के मुद्दे पर बोलते तो अवश्य हैं लेकिन रोजगार के मुद्दे पर रक्षात्मक रुख किय हुए है, यह बताना काफी नही है कि भाजपा शासन में लोग बेरोजगार है। बेरोजगारी से निपटने के लिए सपा की क्या रणनीति है उसके बारे में खुलकर कर सामने आना चाहिए|

महंगाई- महंगाई के मुद्दे पर सपा ने कई विरोध प्रदर्शन तो किये लेकिन यह पर्याप्त नही है जनता महंगाई से कराह रही है।

परशुराम प्रतिमा की स्थापना – सपा



मुखिया ने अपनी सरकार आने पर प्रदेश में सबसे बड़ी परशुराम प्रतिमा की स्थापना का वादा किया है।

सामाजिक मुद्दे– अखिलेश यादव ने पांच साल पहले मुख्यमंत्री के तौर पर विकास किया



था, यह सर्व विदित है की अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मेट्रो, एक्सप्रेस वे, स्टेडियम जैसे कई विकास के काम किये थे लेकिन उसको भुना नही पाए आखिर उनसे कहाँ चूक हो गयी कि जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया|वस्तु स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी में मुद्दों की पकड़ नही है। थोड़ा दबाव पड़ा



है तो आज की तारीख में जाति जनगणना की बाते की जाने लगी है, जिस तरह से आक्रामक हिन्दुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है उसके जबाव में बहुत दबी जुबान से कभी सामाजिक मुद्दों और मुसलमानों के मुद्दे उठा लिए जाते हैं, वो काफी नही है।

सोशल मीडिया पर लोगों की बढ़ती प्रतिक्रिया देख कर ऐसा मालूम होता है की इस आक्रामक हिन्दुत्व से जनता लड़ रही है। अब चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दलों का चुनाव आपस में नही लड़ रहे हैं बल्कि जनता सीधे भाग ले रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। जिसका सीधा फायदा प्रमुख विपक्षी दल को मिलेगा।

ये होने चाहिए थे विपक्ष के मुद्दे

मंडल-कमंडल की लड़ाई 90 के दशक में तो खूब चली लेकिन मंडल के आगे कमंडल थम सा गया। समतावादी दल, दल-दल में बंटते गए और दल पारिवारिक दल में बदलते चले गए। जबकि कमंडल की बातें बाकी दल भी करने लगे। सवर्णों के आरक्षण से लेकर सवर्ण आयोग बनाना, राम मंदिर की जगह कोई और मंदिर बनाने की रह पर चलकर मंडलवादी दल कमंडल की पिच पर खेलते खेलते या तो जेल की सलाखों के पीछे होते गए या फिर हाशिये पर चले गए या घरों में कैद होते गए। इतना ही नही 20वीं सदी के 20 सालों में मंडलवादी/समतावादी विचारों को आगे ले जाने का दावा करने वाले दलों ने कई वैचारिक रूप से हिंसक कार्य किये जिससे उनके विचारों के दिवालियापन का पता चलता है। एससी के प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करना या लोकसभा में इस पर बिल फाड़ने का समाजवादियों का काम हो या फिर बहुजन से सर्वजन की यात्रा करने वाले कांशीराम की कमाई को गवाने वाली बसपा हो। आक्रामक राष्ट्रवाद की काट एक ही हो सकती है, आक्रामक समतावादी आन्दोलन जो पेरियार और अम्बेडकर के दर्शन पर आधारित है। ऐसे में विपक्ष के चुनावी एजेंडे में शामिल होना चाहिए।

जाति जनगणना–



जाति जनगणना का मुद्दा पिचले कई सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, विपक्ष को खुलकर जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे आना चाहिए था कि सत्ता में आयेंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे।

नौकरियों में लोगों की गणना–

नौकरियों में लोगों की गणना कराने का मुद्दा होना चाहिए, यह गणना होनी चाहिए थी कि दलितों पिछड़ों की नौकरियों में भागीदारी हो पाई या नही?

शिक्षा नीति–



नई शिक्षा नीति के नाम पर पिछले दो सालों में एन सी ई आर टी के महत्वपूर्ण स्लेबस को गायब कर दिया गया है। कई महत्वपूर्ण चैप्टर को निकल दिया गया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए जिसको पढ़ना हर एक छात्र के लिए जरुरी था।

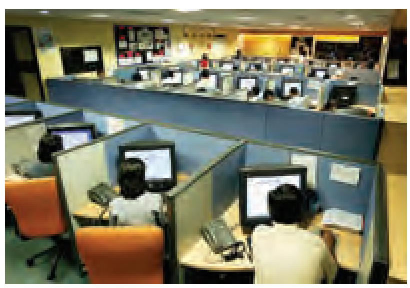
मंदिरों की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग –

तमिलनाडु जैसे राज्यों में मंदिरों की खाली पड़ी भूमि पर स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनाने की बात हो रही है। ऐसे संसाधनों के सदुपयोग का मुद्दा होना चाहिए|

मंदिरों के स्थान पर स्कूल कालेज और संस्थान–

बड़े बड़े मंदिरों जिनमें करोंड़ों - अरबों रुपये लगाए जा रहे हैं, के स्थान पर छोटे छोटे स्कूल अस्पताल, कालेज और छोटे छोटे संस्थान बनाये जाने का मुद्दा होना चाहिए।

निजी क्षेत्र में आरक्षण –



सरकारी विभागों में एजेंसियों के सहारे नियुक्तियां हो रही हैं। नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नही है, तो इसके लिए अमेरिका

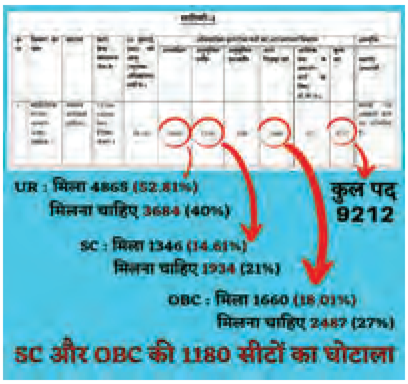
जैसा डाइवर्सिटी मिशन हर जगह होनी चाहिए। कम्पूटर आपरेटर, डाटा इंट्री आपरेटर, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर लगभग हर जगह आरक्षित वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए|

लैटरल एंट्री -



लैटरल एंट्री का खुलकर विरोध होना चाहिए, जो संविधान का खुले आम अतिक्रमण है। संविधान में लोक सेवको के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था दी गयी है। अब लैटरल एंट्री के माध्यम से बिना परीक्षा के, आरक्षण नियमो को ताख पर रख कर अपने चहेतों की भर्तियाँ की जा रही कई। इसे मुद्दा बनाया जाना चाहिए था।

सवर्णों की ज्यादा भर्ती और पिछड़े-



दलितों की नौकरियों में हकमारी-

प्रदेश में विभिन्न संस्थानों में पिछड़ों और दलितों के लिए नौकरियों में उनका हक़ नही दिया जा रहा है, किसी न किसी बहाने उन्हें नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में उनके लिए आरक्षित पद इस लिए रखे जा रहे है की भर्ती का मामला कोर्ट में न उलझे।



पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के दौरान हुई हिंसा और संविधान की उड़ती धज्जियों को मुद्दा बनाया जाना चाहिए।

सांडों का आतंक-



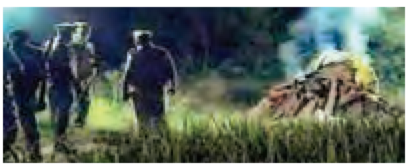
खुले आवारा सांड जनता के लिए मुसीबत बन गए है। सैकड़ों की झुण्ड में खड़ी फसल को पल भर में चट कर जाते हैं। जिसका परिणाम है कि आज इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। सड़कों पर सांडों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में लोग बड़ी संख्या में जख्मी हो रहे है और मर रहे हैं।

रोजगार के लिए पलायन-



कल कारखाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार न होने के कारण मुंबई, दिल्ली, सूरत, लुधियाना, पंजाब की ओर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। बनारस, गोरखपुर, आज़मगढ़ से चलने वाली ट्रेने ठूंस ठूंस कर भरी होती हैं।

कानून व्यवस्था -



ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें दलितों और पिछड़ों विशेषकर महिलाओं संबंधी अपराधों का मुद्दा। चाहे उन्नाव का सामूहिक बलात्कार का मामला तो अथवा हाथरस कांड या लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनावों के दौरान नामांकन करने गयी महिला के चीर हरण का मामला हो। महिलाओं से संबंधित अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार देश भर में महिलाओं के प्रति हुए लगभग 31 हज़ार अपराधों में आधे से अधिक मामले उत्तर प्रदेश में हैं। ▪

नाम बदलना भी हो सकता है मुद्दा...



सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को राष्ट्रवाद और धर्म का जामा पहनाते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों, जिलों और प्रतिष्ठानों के नाम ने परिवर्तन किया है। इलाहाबाद का प्रयाग राज, फैजाबाद का अयोध्या, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, कई ऐसे जिले और शहर हैं जिनके नाम बदलने की वकायत चल रही है।

वैसे बड़े स्तर पर नाम बदले की परम्परा की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी। अखिलेश यादव ने 30 जुलाई 2012 को प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया था। इसके अलावा भीम नगर को संभल, पंचशील नगर को हापुर, महामाया नगर को हाथरस, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोह, कांशीराम नगर को कासगंज छत्रपति साहूजी महराज नगर को अमेठी, रामाबाई नगर को कानपुर देहात को नाम दिया था। इसके बाद 15 जनवरी 2015 को संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया था।

हालांकि की अखिलेश यादव ने योगी सरकार में बदले गए नामों पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिलों के क्या किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है। गांव का नाम बदला जा सकता है। लेकिन क्या यदि वे सत्ता में आएंगे तो पुराने जिलों के नाम वापस बदलेंगें। उन जिलों की जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनके पुराने नामों से थी? क्या वे इलाहाबादी अमरुद और अकबर इलाहाबादी को उसकी पहचान वापस दिला सकेंगें।

भले ही योगी सरकार ने इस्लामिक पहचान की वजह से इलाहाबाद, फ़ैजाबाद और मुगलसराय के नाम बदले, क्या यह देश सिर्फ हिंदुओं का ही है? भारत की पहचान उसकी मिश्रित संस्कृति की वजह से है।

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम सभा, खरगपुर, जिला गाजीपुर

कौन कहता है आसमां में सुराख़ नही हो सकता है एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों। बसावन इंडिया की जातीय जनगणना की मुहीम रंग ला रही है, आज देश में हर जगह जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। बिहार से लेकर समूचे उत्तर भारतीय राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए सुर छेड़ा ही था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलते हुए जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायत चुनावों में कोर्ट द्वारा आरक्षण खत्म किये जाने की स्थिति ने जातीय जनगणना की मांग को और आवश्यक बना दिया है।

देश मे विभिन्न जातियों को लेकर फैलाये गए भ्रम को स्पष्ट करने के लिए बसावन इंडिया लगातार जातीय जनगणना के आकड़ों का प्रकाशन कर रही है अब तक बसावन इंडिया ने चार जिलों के चार गांवों का रेंडमली चयन करते हुए आंकड़ों का प्रकाशन किया है। बसावन इंडिया द्वारा आजमगढ़ जिले की भरमा-डढ़िया ग्राम सभा, संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम, अम्बेडकर नगर जिले की सेहरी लहिया ग्रामसभा और महाराजगंज जिले की महादेवा काशीराम ग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया। बसावन इंडिया अपने इस अंक के गाजीपुर जिले की खरगपुर ग्राम सभा का प्रकाशन कर रही है। जिसकी रिपोर्ट प्रवीण कुमार यादव (पिन्टू) ने तैयार की है, जिनके पिता स्मृतिशेष रामायण यादव, ग्राम प्रधान रह चुके हैं। प्रवीण कुमार यादव सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता है

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

खरगपुर ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2048 है। जिसमें भर, अहीर, क्षत्रिय,चमार,गड़ेरिया, लोनिया, ब्राह्मण, धीमर, मुसलमान,कोंहार,तेली, और कोईरी सहित कुल 12 जातियां हैं।

खरगपुर ग्रामसभा पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 1478 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का 72.16 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या भर मतदाताओं की 637 है। इसके बाद अहीर हैं जिनकी संख्या 519 है। ग्राम सभा में गड़ेरिया मतदाताओं की संख्या 102, लोनिया मतदाताओं की संख्या 91,धीमर 50 कोंहार 39,तेली 29 औरकोइरीमतदाताओं की संख्या 11 है।

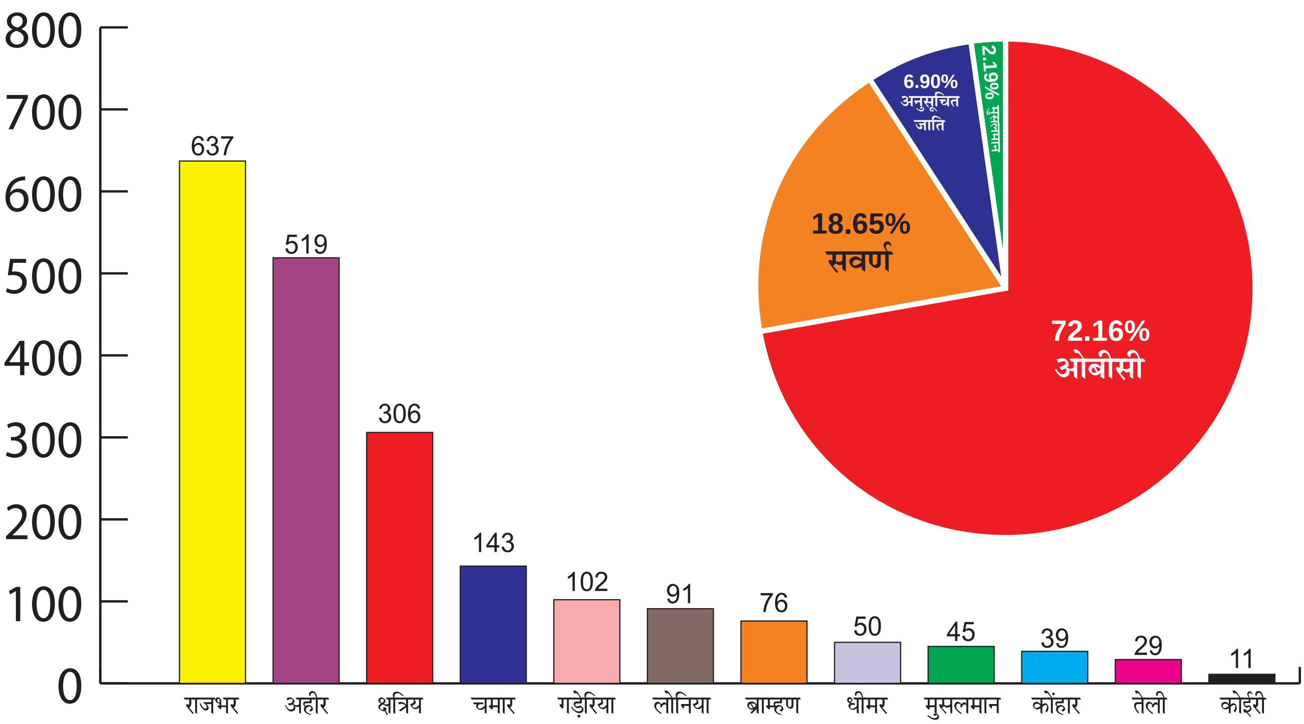
ग्रामसभा में सवर्ण मतदाताओं में क्षत्रिय और ब्राहमण मतदाता है जिनकी कुल संख्या 382 है। जो 18.65फीसदी है। सवर्ण मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या क्षत्रियों की 306 है। ब्राह्मणों की संख्या 76 है।

ग्रामसभा में अनुसूचित जातियों में, सिर्फ चमार मतदाता हैं जिनकी संख्या 143 है जो कुल मतदाताओं की संख्या का 6.9 फीसदी है।

ग्रामसभा में मुसलमानों की संख्या 45 है जो पेशे से नाई है। यह कुल जनसँख्या का 2.19 फीसदी है।



प्रवीण कुमार यादव
सिटीजन जर्नलिस्ट



ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्राम सभा, खरगपुर, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश की जातिवार गणना



क्या छुआछूत मुगलों से आई ?

▪ कँवल भारती

अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक सहपाठी कोई चालीस साल के बाद मुझे अचानक ट्रेन में मिल गया। संयोग से हम दोनों ने ही एक-दूसरे को पहिचान लिया. मैंने पूछा, 'तुम हाई स्कूल में मेरे साथ थे। फिर क्या पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे?'

उसने कहा, 'नहीं। फिर पढ़ा ही नहीं।'

मैंने पूछा, 'क्यों?'

उसने जवाब दिया, 'मैं संघ में चला गया।'

'संघ मतलब?'

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में।'

'ओह, फिर पढ़े क्यों नहीं?'

उसने गर्व से कहा, 'संघ में पढ़ाई की क्या जरूरत? फिर संघ ही हमें पढ़ाता है।'

इस किस्से के प्रकाश में भगवा नेताओं के अजीबोगरीब बयानों को समझा जा सकता है। इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई, जिसने आदमी के धड़ पर हाथी का सिर लगाया था। किसी का यह बयान कि सीता का जन्म परखनली से हुआ था। यह बयान कि गाय के रंभाने की आवाज से मनुष्य के अनेक मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, और यह कि एक तोला घी से यज्ञ करने पर एक टन आक्सीजन बनती है। और अब योगी आदित्य नाथ का यह बयान कि छुआछूत मुगलों ने दी है। इससे साफ़ समझा जा सकता है कि भगवा नेताओं को वाकई पढ़ाई-लिखाई की जरूरत नहीं है। उनकी पढ़ाई-लिखाई संघ में होती है। संघ जो सिखाता है, वही उनकी पढ़ाई-लिखाई है। उसके सिवा उन्हें किसी पढ़ाई-लिखाई की जरूरत नहीं है। वे न इतिहास जानते हैं, और न विज्ञान। उनका इतिहास भी वही है, जो संघ बताता है, और विज्ञान भी वही है, जो संघ की प्रयोगशाला में समझाया जाता है। संघ उन्हें उसी तरह सिखाता है, जिस तरह पिंजरे में बंद तोते को उनका मालिक सिखाता है। तोते रट लेते हैं और फिर दिन भर उसी को दुहराते रहते हैं। संघ के तोते भी रटे हुए हैं, इसलिए रिकार्ड या सीडी की तरह सब जगह बजते रहते हैं। यह बयान योगी जी का नहीं है, आरएसएस का है। उसने अपने सभी विद्यार्थियों को यही इतिहास पढ़ाया है। अब आइए, देखते हैं कि सच्चाई क्या है?

आरएसएस ने, जो ब्राह्मणों का संगठन है, और भारत में हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण राज कायम करना चाहता है, बहुत शातिर ढंग से मुसलमानों और ईसाईयों को बाहरी घोषित करके भारत में हिंदू बहुसंख्यक का भ्रम पैदा कर दिया है, जबकि हजारों जातियों में विभाजित हिन्दुओं में कोई भी बहुसंख्यक नहीं है। पर इस भ्रम से उसका काम बहुसंख्यक के नाम पर हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाने का है, जिसमें वह सफल हो रहा है। उसके हिंदू राष्ट्र बनाम ब्राह्मण राज के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलित वर्ग है, जो डॉ.आंबेडकर की वैचारिकी से जुड़कर हिंदुत्व के लिए चुनौती बन गया है। छुआछूत की घटनाएँ भी इसी वर्ग के साथ होती हैं। आज भी बहुत से गांवों में दलित जातियों को घुढ़चढ़ी की इजाजत नहीं है, और उन्हें घुढ़चढ़ी से बारात निकालने के लिए अदालत या प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। आरएसएस के लिए इस वर्ग को साधना मुश्किल बना हुआ है। इस मिशन में उसकी डॉ.आंबेडकर को हिन्दुत्ववादी और मुस्लिम-विरोधी बनाने की मुहिम भी काम नहीं आई, क्योंकि डॉ.आंबेडकर हिंदू राज को हर कीमत पर रोके जाने की पहले ही चेतावनी दे चुके थे। अब आरएसएस के पास दलितों को अपने मिशन से जोड़ने का एक ही मार्ग था कि वह उन्हें यह बताए कि भारत में छुआछूत मुसलमानों की देन है। हालाँकि यह आरएसएस का अपना मिशन नहीं है, बल्कि आर्य समाज का है। आर्य समाज ने सफाई कर्मचारियों को ऋषि वाल्मीकि से जोड़कर उन्हें स्वामी अछूतानन्द और मंगू राम के आदि धर्मी आन्दोलन से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसमें अमीचंद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका आधुनिक अवतार बिदेश्वर पाठक हैं।

आरएसएस इस तरह के सारे मिथ्या इतिहास-पाठों का प्रयोग चुनावों के दौरान भाजपा के पक्ष में हिंदू-मुस्लिम भड़काने को लिए करता है। इसलिए उसके रट्टू तोते चुनावों के मौसम में सक्रिय हो जाते हैं। योगी का यह बयान इसी साजिश के तहत आया है कि छुआछूत मुगलों से आई है। अब चूँकि योगी जैसे जाहिलों से कोई पलटकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए उनका अनर्गल प्रलाप करने का दुस्साहस बढ़ता जाता है।

योगी जैसे लोग निराधार बयान देकर दलितों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दलित जातियां छुआछूत के लिए हिन्दुओं को दोषी न मानें, बल्कि मुसलमानों को अपना दुश्मन समझें। क्यों भई, मुसलमानों को वे अपना दुश्मन क्यों मानें? अगर वे छुआछूत के लिए जिम्मेदार होते, तो मुसलमान आज भी छुआछूत कर रहे होते पर मुसलमानों में कोई छुआछूत नहीं है। यह सच्चाई है कि जो कौम जिस चीज को माना करती है, वह उस को लागू भी करती है। हिंदू कौम छुआछूत को मानती है, इसीलिए वह उसे अपने यहाँ लागू करती है। यदि, मुसलमान छुआछूत मानते होते, तो दलित-मुसलमानों की बस्तियां पास-पास नहीं हो सकती थीं, जो किसी भी शहर की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर वे छुआछूत मानते होते, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में दलितों का जीना दूभर हो गया होता। पर इसके विपरीत दलितों का जीवन हिन्दुओं ने दूभर कर रखा है। देश भर में दलितों के साथ छुआछूत और जातीय भेदभाव की जितनी भी घटनाएँ हुई हैं और होती हैं, वे हिन्दुओं द्वारा ही की गई हैं और की जाती हैं। क्या संघ परिवार के योगियों से यह पूछे जाने की जरूरत नहीं है कि अगर छुआछूत मुगलों से आई, तो हिन्दुओं ने उसे क्यों अपनाया? सच तो यह है कि हिंदू समुदाय के संस्कार में ही छुआछूत है, जो उसमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। अगर छुआछूत मुगलों का संस्कार था, या है, तो वह हिन्दुओं का संस्कार कैसे बन गया? हिन्दुओं में तो आज भी किसी भंगी-चमार को किराए पर कमरा नहीं मिलता है, जबकि मुसलमान घरों में आसानी से कमरा मिल जाता है। किसके संस्कार में है छुआछूत?

शेष पेज संख्या 15 पर...

ट्रिपल टेस्ट में उलझा अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत आरक्षण

मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी को अब 22 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी में जुटी

▪ तेज बहादुर, भोपाल

- **मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव : पिछड़ों के आरक्षण का पेंच क्यों फंसा?**
- **हिंदूवादी भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जातिगत आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए**
- **महाराष्ट्र, बिहार सहित दूसरे राज्यों की पंचायत चुनाव में आरक्षण की रणनीति को परखने को अधिकारियोंकोआदेश**

मध्य प्रदेश की सियासत में गुजरे साल 2021 का आखिरी महीना पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण का मुद्दा गरम रहा। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण वाली सीटों पर चुनाव पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवराज सरकार को जहां अपने ही आदेश पर पीछे हटना पड़ा, वहीं विपक्षी कांग्रेस को सरकार को घेरने का अच्छा बहाना मिला। राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़ों के वोटों की कितनी महत्ता है, यह भाजपा और कांग्रेस की पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर सड़क से विधानसभा तक हो रही लड़ाई से साफ नजर आती है। भाजपा आरोप लगाती है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण में कोर्ट का अड़ंगा कांग्रेस की वजह से है। भाजपा नेता और शिवराज सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से पैरवी करने वाले वकील विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के लिए कहा था। राज्य के गृह मंत्री और शिवराज सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को खत्म कराना चाहती है। कांग्रेस के प्रवक्ता का हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पैरवी करना इसका प्रमाण है। वहीं, तन्खा का कहना है कि सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है।

विवेक तन्खा का आरोप है कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन का पालन नहीं किया, जबकि यह संवैधानिक अनिवार्यता है। अगर बिना रोटेशन के आरक्षण


Shivraj Singh Chouhan
44.6K Tweets
Tweets | Tweets & replies | Media | Likes
Shivraj Singh Chouhan · 28 Dec 21
,@BJP4India की नीति रही है- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'।

मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देनें के साथ अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय दिया।

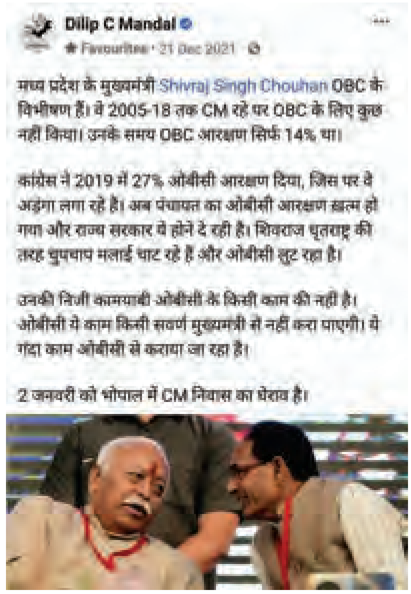
#OBC का भी पंचायत चुनाव में आरक्षण का जो अधिकार है, वह भी रहना चाहिये। सबको न्याय देने का हरसंभव प्रयास है।

लागू करके चुनाव होते, तो कोर्ट चुनाव को ही रद्द कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात सरकार और चुनाव आयोग से कही है। तन्खा के अनुसार, पंचायत या निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख जनवरी में तय की है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि प्रदेश सरकार का अध्यादेश संवैधानिक नहीं है, तो पंचायत चुनाव रद्द भी कर सकता है।

अब जबकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब शिवराज सरकार हर हाल में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए संकल्पित दिखना चाहती है। यही वजह है कि आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य सीट घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर से विचार करने के लिए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। हालांकि जस्टिस एएम खान विल्कर और सीटी रवि कुमार की पीठ ने शिवराज सरकार को झटका दे दिया। शीर्ष कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब यह मामला 3 जनवरी को सुना जाएगा।

इसके साथ ही चौहान ने पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट को लागू करने के तरीकों और उपायों पर भी काम शुरू किया है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, राज्य के वकीलों और अन्य पक्षों से चर्चा की है और अधिकारियों को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पर अन्य राज्यों के फैसलों का भी पता लगाने के निर्देश दिए हैं।

ओबीसी को 22 प्रतिशत आरक्षण देने पर भी विचार :
शिवराज सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को 22 प्रतिशत आरक्षण देने पर भी विचार करती नजर आ रही है। इस दिशा में सांख्यिकी विभाग को आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग से कहा है कि वैकल्पिक तौर पर ओबीसी वर्ग की सीट वार गणना करने का रोडमैप भी बनाएं।


Dilip C Mandal
Favourites · 21 Dec 2021
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan OBC के विभीषण हैं। वे 2005-18 तक CM रहे पर OBC के लिए कुछ नहीं किया। उनके समय OBC आरक्षण सिर्फ 14% था।

कांग्रेस ने 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण दिया, जिस पर वे अड़ंगा लगा रहे हैं। अब पंचायत का ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया और राज्य सरकार ये होने दे रही है। शिवराज धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप मलाई चाट रहे हैं और ओबीसी लुट रहा है।

उनकी निजी कामयाबी ओबीसी के किसी काम की नहीं है। ओबीसी ये काम किसी सवर्ण मुख्यमंत्री से नहीं करा पाएगी। ये गंदा काम ओबीसी से कराया जा रहा है।

2 जनवरी को भोपाल में CM निवास का घेराव है।

वहीं, पिछड़े वर्ग से आने वाली भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सक्रिय हैं। उनका दावा है की मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराना राज्य की 70 प्रतिशत जनता के साथ अन्याय होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से ओबीसी को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता तलाशने के लिए हर संभव कोशिश करने का अनुरोध किया।

ओबीसी आयोग ओबीसी पर रिपोर्ट देगा, तीन महीने लगेंगे

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. गौरी शंकर बिसेन मुख्यमंत्री को बता चुके हैं

क्या है ट्रिपल टेस्ट

- राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच करने के लिए एक आयोग बने।
- आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अधिकता का भ्रम न हो।
- किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

कि आयोग द्वारा ओबीसी की आबादी की जिले और तहसीलवार रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम तीन महीने का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट लागू करने के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाना होगा। यह आयोग इस ओबीसी की आबादी की गणना कर सिफारिश सरकार को देगा। इसके आधार पर आरक्षण तय होगा।

पंचायत चुनाव में आरक्षण औसतन 60% से ज्यादा

पंचायत में आरक्षण उस क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से चुनाव में कुल आरक्षण 60 प्रतिशत से ज्यादा हो रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आरक्षण कुल सीटों का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है। वहीं राज्य चुनाव आयोग यह साफ बताने की स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकार के मौजूदा आरक्षण ढांचे में कितनी सीटें आरक्षित होंगी। इसकी वजह से हर जिले और तहसीलवार आबादी के हिसाब से आरक्षण निर्धारित करने की शर्त। बहरहाल मोटे तौर पर प्रदेश की पंचायतों में औसतन 15% सीट अनुसूचित जाति, 20% सीटें अनुसूचित जनजाति और 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। इस तरह कुल आरक्षण 62% पहुंच रहा था। जबकि यह 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश पिछड़ों के हक पर डाका

महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का अध्यादेश जारी किया गया था। इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द करने के अपने 6 दिसंबर के आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण के पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि ओबीसी आरक्षण पर रोक न लगाया जाए। दवे ने यह भी दलील दी थी कि 2017 के चुनाव के आंकड़ों के आधार पर चुनाव की अनुमति दी जा सकती है। राज्य या केंद्र सरकारों की निष्क्रियता के कारण पिछड़े वर्गों को पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सरकारों की ढिलाई और नाकामी के कारण ओबीसी को आरक्षण के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। वहीं, एक अन्य वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि एक "संवैधानिक गतिरोध' उभरा है, क्योंकि सरकारें जातिगत सर्वेक्षण नहीं करा रही हैं। नतीजा यह है कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। इन दलीलों का सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ। ▪

@+91 9406955327

पेज-13 क्या छुआछूत मुगलों से आई? का शेष ...

कुछ साक्ष्य इतिहास से भी उल्लेखनीय हैं, हालाँकि संघ परिवार अपने गढ़े गए इतिहास को ही मानता है। फिर भी इतिहास के जिन तथ्यों को मैं दे रहा हूँ, उनको झुठलाने का साहस आरएसएस भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं चंडाल शब्द की बात करता हूँ। क्या योगी या आरएसएस का कोई नेता यह बतायेंगे कि मुगलों ने चंडाल किस काल में बनाए थे? किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इतिहास के जिस काल खंड में चंडाल आते हैं, उसमें मुगल क्या, सल्तनत काल का भी अस्तित्व भारत में नहीं था। डॉ.विवेकानंद झा ने अपने शोधपत्र 'चंडाल और अस्पृश्यता का उद्भव' में, जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की शोध पत्रिका 'इतिहास' के जनवरी 1992 के अंक में प्रकाशित हुआ था, लिखा है, 'तीसरी से छठी सदी ई. के ब्राह्मण परम्परा की विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियों से अस्पृश्यता के पालन के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं और इस काल में चंडाल की स्थिति में और भी गिरावट आई। इसी काल में हमें 'अस्पृश्य' शब्द का प्रथम प्रयोग भी देखने को मिलता है। विष्णु ने इसका प्रयोग दो स्थलों पर किया है। अस्पृश्य योनि में जन्म लेने का कारण मलिन कर्म करना बताया गया है, और किसी अस्पृश्य द्वारा जानबूझकर किसी द्विज का स्पर्श करने के लिए मृत्यु दंड का विधान किया गया है- **अस्पृश्यः कामकारेण अस्पृश्यं स्पृशंवध्यः'**

क्या ये विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियाँ मुगलों ने बनाई थीं? क्या मनुस्मृति का विधान भी मुगलों का बनाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि चांडालों के साथ कोई भी सामाजिक व्यवहार न करे, तथा चंडाल और श्वपच के रहने का स्थान गाँव के बाहर रहना चाहिए। (10/51-54) क्या यह छुआछूत नहीं है? जब इन स्मृतियों के विधाता मुसलमान नहीं हैं, ब्राह्मण हैं, तो फिर छुआछूत के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार क्यों नहीं हैं?

एक साक्ष्य मध्यकालीन इतिहास से भी देख लिया जाए। यह वह काल है, जब भारत में मुसलमान आ गए थे, पर बादशाहत नहीं आई थी। यह कबीर का काल है। कबीर स्वयं भी मुसलमान थे। उन्होंने पाखंड और आडम्बरों को मानने के लिए ब्राह्मण और मुल्ला दोनों को फटकार लगाई है। पर क्या कारण है कि छुआछूत को मानने के लिए उन्होंने ब्राह्मण को ही फटकारा है, मुल्ला को नहीं।

यथा-

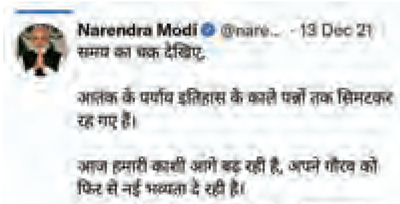
1. **काहे को कीजे पांडे छोति विचारा, छोति हीं तैं उपजा सब संसारा।**
2. **पांडे बूझि पियहु तुम पानी,**
3. **जे तू बाभन बभनी जाया, आन बाट काहे नहिं आया।**

इसका यही कारण है कि छुआछूत हिन्दुओं के संस्कार में थी, मुसलमानों के खून में नहीं। अतः हे आरएसएस के पंडों। छुआछूत मुगलों से नहीं, ब्राह्मणों से आई है। इसके जनक भी ब्राह्मण हैं और प्रसारक भी। ▪

@+91 9412871013

काशी के द्वार, वी आई पी व्यवस्था की रार







अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद एक ही जाति के सदस्यों के कारण विवाद रहा -

- राम मंदिर ट्रस्ट के स्थाई सदस्य के परासरण (ब्राह्मण)
- जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती (ब्राह्मण)
- जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ (ब्राह्मण)
- युगपुरुष परमानंद (ब्राह्मण)
- स्वामी गोविंद देव गिरि (ब्राह्मण)
- विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा (ब्राह्मण)
- महंत दिनेंद्र दास (ब्राह्मण)
- डॉ. अनिल मिश्र (ब्राह्मण)
- कामेश्वर चौपाल (दलित)

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद

जिसके के अध्यक्ष पद पर प्रो. नागेंद्र पांडेय (ब्राह्मण) को नियुक्त किया गया है। सदस्य पद पर पं. दीपक मालवीय(ब्राह्मण), पं. प्रसाद दीक्षित (ब्राह्मण), प्रो. ब्रजभूषण ओझा (ब्राह्मण), प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय (ब्राह्मण)और प्रो. के. वेंकटारमण घनपाठी (ब्राह्मण) को नियुक्त किया गया।

▪ **डॉ.गजेंद्र सिंह यादव**

काशी विश्वनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के लिए चर्चा का केंद्र है।इस मंदिर के प्रांगण का पुनर्निर्माण लगभग 900 करोड़ रूपया खर्च करके कराया जा रहा है इस निर्माण के द्वारा संकरे मंदिर प्रांगण का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कई लाख श्रद्धालु एक साथ बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन व पूजन अर्चन कर सकें। मंदिर ट्रस्ट का कथन है की इस निर्माण के उपरांत मंदिर के बाहर लगने वाली लंबी कतारों से निजात मिल सकेगी तथा भक्तजन आसानी से दर्शन व पूजन कर सकेंगे। सरकार तथा मंदिर ट्रस्ट ने इस कार्य में काफी समय श्रम व धन खर्च किया है इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में दर्शन सुलभ करने के लिए कई नई योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं, इनमें से एक योजना है सुगम दर्शन प्रणाली इस प्रणाली के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति के पास पंक्ति में खड़े होकर दर्शन करने का समय नहीं है वह 300 रुपए की रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकता है इस प्रकार की दर्शन व्यवस्था अस्तित्व में आते ही इस पर सवाल उठने लगेत था इसे आर्थिक आधार पर दर्शन करने में भेदभाव पैदा करने वाली नीति माना गया इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई जिसमें याची द्वारा कहा गया कि यह नीति आर्थिक भेदभाव उत्पन्न करने वाली नीति है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 ,15, 25 तथा 26 का उल्लंघन करती है इसके द्वारा दर्शनार्थियों के बीच भेदभाव बढ़ेगा तथा मंदिरों में लिंग, जाति के बाद आर्थिक आधार पर भी भेदभाव नाम की एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट तथा उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय में कहा कि यह व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि केवल दिव्यांगों तथा किसी विशेष परिस्थिति में दर्शन करने में अक्षम व्यक्तियों के लिए है उन्हें इस तरह की छूट दिया जाना किसी के भी साथ भेदभाव नहीं है क्योंकि यहां किसी को भी दर्शन करने से रोका नहीं जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे मंदिर प्रशासन व सरकार के विवेक का मामला बताया तथा कहा कि मंदिर प्रशासन या सरकार इस प्रकार के कर आरोपित कर सकती है यह उनकी शक्ति के अंतर्गत आता है। यहां माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य की विधि बनाने की शक्ति में हस्तक्षेप करने से बचते हुए यह मामला सरकार के विवेक पर छोड़ दिया।

समस्या यह भी है कि बनारस जिला प्रशासन द्वारा बार-बार लोगों को यह कहना कि उन्होंने बहुत से मंदिरों को अपने घरों में छिपा कर रखा था मंदिर प्रांगण को विस्तारित करने के लिए करीब 300 घरों का अधिग्रहण किया गया था इन घरों में करीब 45 मंदिर सामने आए हैं। जिला प्रशासन का यह कथन एकदम गलत प्रतीत होता है क्योंकि यदि लोगों ने मंदिर छिपाए होते तो केवल 45 मंदिर ही सामने नहीं आते बाकी के 255 घरों में भी मंदिर निकलते। मंदिरों के इस तरह घरों में छिपे होने की सबसे बड़ी वजह यह है की शिव काशी के कुलदेवता हैं और उनकी पूजा घर-घर होती है इसलिए प्रत्येक घर में मंदिर का निकलना कोई आश्चर्यजनक बात



प्रतीक सिंह सोनू
एडवोकेट-हाईकोर्ट इलाहाबाद

जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद एक ही जाति के विकास के लिए है तो यह मंदिर सबका कैसे? दोनों जगहों पर ब्राहमण ही ब्राहमण हैं। ये संस्थाएं सिर्फ ब्राहमणों के विकास के लिए काम कर रही हैं,अन्य जातियां सिर्फ मंदिरों में झाड़ू लगाने और चंदा देने के लिए हैं। हम मामले को कोर्ट तक ले जायेंगे।

नहीं है।साथ ही तोड़े गए तमाम मंदिरों व घरों में सारे लोग ऐसे नहीं थे जिनके पास घरों के स्वामित्व के कागज या रजिस्ट्री रही हो ऐसे लोगों को बहुत ही कम मात्रा में मुआवजा प्रदान किया गया है इन लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों का मुआवजा बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है ताकि मंदिर निर्माण व प्रांगण के सुंदरीकरण के साथ-साथ लोकहित भी जीवित बना रहे तथा किसी भी प्रकार की भेदभाव वाली व्यवस्था का जन्म ना हो सके।

इसके अलावा बार-बार यह दावे भी किए जाते हैं कि काशी में बड़ी संख्या में बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों को समय-समय पर तोड़ा गया था। हो सकता है यहां के स्थानीय निवासियों ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घरों की चाहरदीवारी में घेर लिया हो इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि लोगों ने उस शिव के मंदिरों को चुराकर अपने घरों में कैद किया होगा जो उनके कुलदेवता हैं। इस तरह की बातें यहां के लोगों के आत्म सम्मान पर सरकारी प्रशासन द्वारा की गई चोट है इस तरह की बातों पर सरकारी प्रशासन व मीडिया को तुरंत रोक लगानी चाहिए। ▪

हिंदू जाति व्यवस्था में कहां होंगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी?



उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी ने 6 दिसंबर को इस्लाम धर्म छोड़कर गज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर में सनातन धर्म हिंदू धर्म अपना लिया। उन्हें अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाएगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को हिंदू वर्ण व्यवस्था के किस पायदान पर रखा जायेगा।

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकारों में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसके कर्मकांडों करने के लिए स्वतंत्र प्रदान करता है। व्यक्ति जब चाहे अपना धर्म बदल ले|वह किसी धर्म को मानाने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में धर्म परिवतन तो संभव है लेकिन जाति परिवर्तन नही। जाति का मामला अक्सर यहां भी उलझता है। हिंदू धर्म को छोड़ कर अन्य किसी धर्म में जातियां कोई मायने नही रखती हैं।

यही कारण हैं की हिंदू धर्म को छोड़कर जाने वालों की संख्या अधिक है। हिन्दु धर्म से इस प्रकार का पलायन हिंदू धर्म के ठेकेदारों के लिए चिंता का विषय है की कहीं वे अल्पसंख्यक न हो जाएँ।

आज भी बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं लेकिन आरक्षण के चलते वे अपने धर्म के कालम में हिंदू धर्म ही लगते हैं।यदि कोई दलित मुस्लिम बन रहा है तो वो अपने आरक्षण का लाभ खो देगा। हालांकि कुछ राज्यों में ओबीसी के तहत आने वाली कुछ मुस्लिम जातियां, जो पेशे के हिसाब से बांटी गई हैं, उन्हें सरकार ने ओबीसी माना है और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है।

यदि कोई हिंदू धर्म अपनाता है तब– प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों को शूद्रों में रखा जाता था, ऐसा सिर्फ दमित वर्ग के साथ हुआ लेकिन ऐसी जातियां जो विजेता रहे उच्च वर्ग में शामिल हो गए। लेकिन जटिल जाति व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांडों के कारण हिंदू धर्म छोड़कर जाने वालों की संख्या अधिक रही, जिसका परिणाम यह रहा कि बौद्ध धर्म जैसे धर्म अन्तर्रष्ट्रीय स्तर पर छा गए।

हिन्दुओं की घटती संख्या के कारण आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने जाति व्यवस्था के बंधन को शिथिल करके हिंदू धर्म में वापसी के लिए पुरुधार कार्यक्रम चलाया। फिर भी हिंदू धर्म में आने वालों की जाति निम्न ही होती थी क्यों कि सबसे अधिक पलायन निम्न वर्ग से ही हुआ था।

जाति में पुनरागमन के कानून और संविधान क्या कहता है– सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आरक्षण संबंधी एक फैसले में निर्णय दिया था कि यदि उसकी पुरानी बिरादरी उसको स्वीकार कर लेती है, तो वो उसी जाति का माना जाएगा। जिसका अर्थ यह है कि आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं। एक व्यक्ति अपना धर्म और आस्था बदल सकता है, लेकिन उस जाति को नहीं जिससे वे संबंधित है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से है।

ये बड़ा सवाल है कि वसीम रिजवी ने जब हिंदू धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने अपने नए नाम के साथ त्यागी ही क्यों जोड़ा। वैसे उत्तर प्रदेश में त्यागी ब्राहमण और शुद्र दोनों लगते हैं त्यागी से किसी जाति विशेष का ज्ञान नही हो पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से त्यागी मुस्लिम भी हैं। वैसे तो त्यागी टाईटिल का उपयोग जाति के तौर किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि जिसने सबकुछ त्याग दिया हो उसे ही त्यागी कहते हैं। हालांकि वसीम रिजवी ने जिस मंदिर में धर्म परिवर्तन किया, वो त्यागी लोगों के प्रभाव वाला मंदिर है। उन्हें धर्मांतरण कराने वाले महाराज नरसिंहानंद त्यागी हैं। विकीपीडिया के अनुसारत्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पायी जाने वाली एक जमींदार ब्राह्मण जाति है। त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमींदारी व रियासतों से जाने जाते हैं।



किसान आन्दोलन एक अनचाहा डेन्ट

▪ सुनील कुमार सुनील

साल 2020 अपने अन्तिम पडाव पर था, कोरोना और लॉकडाउन की बदहाली से उपजी देश में स्थितियां और उत्पन्न स्थितियों के परिणामस्वरूप रोटी और रोजगार का संकट, भयाक्रांत समाज, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और कारोबार के बीच एक खबर जो समाज में तेजी से अपनी जगह बना रही होती वह खबर होती है सरकार का कृषि कानूनों को संसद में पेशकर पारित करना।

ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि जिस तरह से लोगों ने नोटबंदी की घोषणा को सुना व देखा था ठीक उसी तरह की पुनरावृत्ति कोरोना के लिए लगाए गए लॉकडाउन में भी देखने को मिली थी देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित कर दिया कम पढ़ा लिखा मजदूर सहित हर किसी ने प्रधानमंत्री का साथ देने की सोंची मगर प्रधानमंत्री के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में मजदूर तबका जो रोज कमाने और खाने पर आश्रित था महज आठ दिन में ही मजबूत की जगह मजबूर हो गया और एकाएक हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मजदूरों ने हजारों किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दिया। बहुत से लोग रास्ते पर हताहत भी हो गए मगर इनका एक कांसेप्ट था कि चलते चलते हो सकता है घर पहुंच जाएं वरना यहां तो मरना तय है और कोरोना के प्रति जंग की प्रतिबद्धता को भूख और डर के माहौल ने तोड़ दिया। जैसे तैसे हालात अभी सामान्य भी न हुए थे कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में खासकर पंजाब,हरियाणा,पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगावती तेवर धारण कर विरोध में किसान संगठन उतर आए।

क्यों मिला व्यापक समर्थन

दरअसल यह कोरोना काल के ठीक बाद ही किसानों के असंतोष ने आन्दोलन का रूप लेना शुरू कर दिया था और किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं को सील करने की घोषणा कर चुके थे यहां तक कोई बात न थी मगर कोरोना के कारण मजदूर वर्ग के सामने उत्पन्न हुआ रोटी का संकट और रोटी के संकट के चलते रोटी की महत्ता का ठीक-ठीक अन्दाजा तथा आन्दोलन के दौरान अनवरत चलते लंगरो के कारण भूखे लोगों को रोटी की व्यवस्था ने भीड को रोके रखने का काम किया। लोगों के पास रोजगार न था मगर जीवन के लिए रोटी की कीमत क्या है यह कोरोना मिसमैनेजमेंट के परिणामस्वरूप उजागर सरकारी विफलता ने दुविधाहीन जो



अजीत प्रताप सिंह
समाजसेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक

निःसन्देह इसका व्यापक असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको आन्दोलन और चुनावी राजनीति के सम्बन्ध पृथक कर देना चाहिए और इस धारणा को मजबूत करना चाहिए कि आन्दोलन अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है जो व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी सम्भव नहीं है।

निष्कर्ष मजदूर वर्ग, अर्द्ध कृषक तथा किसानों के सामने निकलकर आया उससे साफ एक साफ संदेश था कि किसान समाज अब ऐसे किसी भी रिस्क और अश्वासन के भुलावे में नहीं आना चाहता था यह लोकतंत्र में सरकार के प्रति अविश्वास की इंतेहा का चरम था जब गांधी के देश में सैकड़ो किसान मरकर भी शान्तिपूर्वक आन्दोलन जान की बाजी लगाकर सैकड़ो मरकर हजारों मरने के लिए तैयार होकर आन्दोलन करके सरकार को विवश करने का काम कर रहे थे।

आन्दोलन राजनीति से दूर रहा...

यह सर्वमान्य व निर्विवादित निष्कर्ष है कि हर आन्दोलन एक राजनीतिक चेतना को तीखा करता है मगर यह भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि एक आन्दोलन का असर समाज में निश्चित रूप से कितना पड़ता है। दरअसल लोकतंत्र का कोई भी आन्दोलन जरूरत और सरकारी व्यवस्था व सरकारी नीतियों से असंतुष्ट/प्रभाव का परिणाम होता है जो किसी व्यक्ति, समाज, वर्ग द्वारा किया जाता है और यह जब जनांदोलन का रूप लेता है तो

इसका सीधा प्रभाव राजनीति में दिखाई देता है। जो सम्बन्ध राजनीति और समाज का है वही सम्बन्ध आन्दोलन और राजनीति का है क्योंकि यह दोनों क्रियाएं अन्ततः समाज में ही घटित होती होती हैं। आन्दोलन और राजनीति के सम्बन्ध को अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ से मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल किया गया कि क्या किसान आन्दोलन का फर्क यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव में पडेगा तो विशेषज्ञ का स्पष्ट जवाब था आन्दोलन की वजह से एक बेरहम किस्म की रोशनी पैदा होती और यह राजनीतिक संकट का कोई एक पहलू होता है और यदि यह इतना प्रबल हो जाए कि दूसरे छोटे संकटों को न सिर्फ रेखांकित कर जाए बल्कि सामने ले आने में सक्षम हो जाए तो इसके परिणामस्वरूप सरकार की जो कमजोरियां होती हैं वह निकलकर सामने आ जाएं तब यह निःसंदेह प्रभावी हो जाता है।

दरअसल किसान आन्दोलन की प्रभावी मजबूती यह भी रही कि यह आन्दोलन राजनीतिक कम, गैरराजनीतिक व्यक्तियों एवं दबाव समूहों द्वारा मुख्यतः संचालित था जिसे राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक और मजदूर किसान वर्ग का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था तथा एक लम्बे समयान्तराल तक चलने के कारण लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने में सफल रहा।

आन्दोलनरत किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार और राजनीतिक व्यक्तियों के गैर-जिम्मेदार बयानों ने आन्दोलन के प्रभाव को और तीखा बनाने का काम किया साथ ही साथ मीडिया की पूर्वाग्रही रिपोर्टिंग भी एक वजह रही और मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाए यह सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रैन्डिग पोजीशन हासिल करने में सफल हो सका।

आन्दोलन का प्रभाव

यह आन्दोलन मुख्यतः केन्द्र सरकार की देन था, केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ था चूंकि केन्द्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के कारण राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका जबरदस्त और प्रत्यक्ष प्रभाव निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले विधानसभा चुनावों पर अवश्य पडेगा।

विश्लेषक ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है यदि यह आन्दोलन न होता तो सत्तारूढ दल अपनी कमियों या असफलताओं को ढकने में सक्षम भी हो जाता मगर इस एक आन्दोलन की वजह से उपजी एंटी कंबेन्सी ने आग में घी का काम करते हुए पूर्ववर्ती को न सिर्फ प्रत्यक्ष कर दिये बल्कि नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल की असफलताएं, मंहगाई, बेरोजगारी, अपराध, स्वास्थ्य आदि पर जबरदस्त पोल खोलने वाला साबित हो रहा है।

लोग अब हर मुद्दे पर दो तरह की बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं पहला यह कि सरकार एवं सत्तारूढ दल का बयान क्या है और विभिन्न स्रोतों से जारी एवं एकत्र किए गए डेटा क्या हैं और इन दोनों के बीच जो अन्तर पाया जाता है उस लोग दोहरापन घोषित करके अपने अविश्वास को और मजबूत करते प्रतीत होते हैं। हालांकि तीनों कृषि कानून वापस करने की केन्द्र सरकार न सिर्फ घोषणा करके यह कानून वापस ले चुकी है बल्कि अपनी बात न समझा पाने का अफसोस भी प्रधानमंत्री द्वारा जाहिर किया जा चुका है लेकिन 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को भाजपा के सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाडियों से कुचलकर मारने की घटना ने इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप उपजे आक्रोश को चरम पर पहुंचाने का काम किया है।

लोग इस घटना के बाद बेहद आक्रोशित हो चुके थे यूपी सरकार के पास मौका था जब वह निष्पक्ष होकर त्वरित गिरफ्तारी कराती लेकिन इसके उलट पुलिस के लगातार टालने और घटना के बाद तात्कालिक बयानों ने तथा सुप्रीम कोर्ट की डांट तथा विपक्ष के दबाव एवं जांच में दोषी पाए जाने के कारण यह डेन्ट स्थायी रूप से वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्ष इस डेन्ट की भरपायी न होने देने जैसे इरादे के साथ लगातार किसान आन्दोलन के जख्मों को कुरेद रहा है। ▪

@+91 9451887671



तपस्या में रह गई कमी!

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीनो कृषि कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मै आज देश वासियों से क्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र ह्रदय से कहना कहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, एक एक प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नही पाए। अब किसान अपने खेतों, अपने घरों के लिए वापस लौटें अपने काम के लिए लौटें। आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, नेक नियत से कर रहा हूँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या में भले ही कमी रह गई हो लेकिन किसानों का संघर्ष फलीभूत हुआ। किसानों की जीत हुई। भारत मं लोकतंत्र की जीत हुई। दुनिया में लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा। पिछले लगभग एक वर्षो से धरने पर खुले आसमान के नीचे सर्दी,गरमी, बरसात में लगातार धरने पर बैठे किसानों को इस जीत के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 700 से अधिक किसान आन्दोलनकारियों की धरना स्थल पर मौत हो गयी। लखीमपुर में चार किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया गया। आदोलन को समाप्त करने के जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो आखिरकार मन मार कर प्रधानमंत्री जी को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के समक्ष अपनी 'नेक नियत' की घोषणा करनी पड़ी इसके बाद भी किसान नही डटे रहे जबतक कि विधिपूर्वक किसान आन्दोलन को रद्द नही कर दिया गया।

किसान आन्दोलन तपस्वियों के दो खेमों में था एक तो प्रधानमंत्री आवास में स्वंय प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा तरफ खुले आसमान में अपने घरों से दूर किसानों का था। प्रधानमंत्री आवास से किसानों को समझाने के राजनीतिक दाव पेच चलते रहे और दूसरी तरफ किसान उनको समझाने के लिए शांतिपूर्वक दिल्ली बार्डर परडटे रहे|

निजीकरण की कतार में खड़े बैंक
उम्मीद की किरण किसान आन्दोलन

▪ **अश्वनी कुमार यादव (शोध छात्र)**



वर्ष 2014 के बाद अडानी - मोदी की जोड़ी में जहाँ मोदी जी सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति पाने में सफल रहे, वहीं उनके पूँजीपति दोस्त गौतम अडानी सर्वोच्च आर्थिक शक्ति बनकर उभरे। यहीं से राष्ट्रवाद और पूँजीवाद का ऐसा मिश्रण निकला, जिसके सामर्थ्य के आगे राष्ट्रवाद तथा सरकारीकरण का दम्भ भरने वाला आर एस एस तथा उसके अनुषंगी कई संगठनों जैसे कि भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ ने छूटने टेक दिए।

मोदी सरकार द्वारा अडानी (पूँजीपतियों) के हित में पास किए गए काले कृषि कानूनों का भारत के किसानों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया जिससे कि अपराजेय मोदी सरकार को मुँह की खानी पड़ी, और उसे काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा ,तथा किसानों से माफी मांगनी पड़ी। मीडिया को छोड़ दिया जाए तो भारत के किसानों को न केवल यहाँ की जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला अपितु वैश्विक स्तर पर पूँजीवाद की मार झेल रहे किसानों व आम जनता का भी अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। यद्यपि मोदी सरकार ने भले ही काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, किंतु कई राज्यों (विशेषकर उत्तर प्रदेश) के चुनावों में भाजपा को राजनीतिक परिणाम भुगतना अभी बाकी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावो में जनता को यह भरोसा दिला कर सत्ता में वापसी की थी कि वह देश नहीं बिकने देंगे। भाजपा का यही नारा कि " वो देश नहीं बिकने देगा " ने देश की जनता को सबसे ज्यादा ठगा है। मोदी - शाह की जोड़ी झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करने के इतने माहिर खिलाड़ी निकले हैं कि, जनता से किए गए अपने ही वादे को जुमला कहने में संकोच नहीं करते। आज शरीर रूपी देश के एक एक अंग को जैसे कि सरकारी तेल कंपनियों ,गैस कंपनियों, विमानपत्तन, बंदरगाह, रेलवे, कोयला, सरकारी बैंक आदि आदि को अपने पूंजीपति मित्रों (विशेषकर गौतम अदानी) को बेचते जा रहे हैं और इस बिक्री को विकास का नाम दे रहे हैं। यह एक तरीके से वही बात है कि पुरखों की बनी बनाई संपत्ति को बेच कर अय्याशी करना और यदि इस पर कोई टीका टिप्पणी करे तो जवाब देना कि पुरखों ने हमारे लिए पिछले 70 वर्षों में किया ही क्या है।

मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की नजर अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर पड़ चुकी है जिसे वे किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाह रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक लाभ में चल रहे हैं और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक एक साथ कई काम कर रहे हैं, जो एक तरफ ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों - मजदूरों व गरीब जनता में बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं तथा साथ ही साथ सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं का देश के गरीब व गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक तमाम समस्याओं को झेलते हुए स्वयं लाभ कमा रहे हैं और अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा सरकार को लाभांश के रूप में दे रहे हैं। दूसरे रूप में यदि कहा जाए कि सरकारी बैंक देश की जनता की सच्ची सेवा कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी सरकार ने अभी तो केवल दो बैंकों को बेचने की योजना बनाई है अगर देश का आम नागरिक सरकारी बैंक, जो कि उसके अपने हैं ,के साथ खड़ा नहीं हुआ तो, वह दिन दूर नहीं जब एक - एक करके सभी सरकारी बैंक बिक जायेंगे और सभी सरकारी बैंकों पर गौतम अडानी का कब्जा हो जाएगा।

भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंक जनता को न केवल अपनी सेवाएं देते हैं, अपितु सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को गरिमापूर्ण, सुरक्षित व भयमुक्त सरकारी नौकरी भी प्रदान कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत पहले यह नारा दिया था कि, 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन ', तो जनता को लगा कि, मोदी जी कोई चमत्कार करने वाले हैं। जबकि इस नारे के पीछे असली मंशा यह थी कि, सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए। न सरकारी उपक्रम होंगे न सरकारी कर्मचारी जब चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो, सरकार अपने आप न्यूनतम हो जाएगी। जब देश का सरकारी बैंक बचेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था बचेगी और तभी देश का भविष्य बचेगा। ▪



राजेश सिंह
जिला अध्यक्ष स्वराज अभियान प्रयागराज

जब सरकारी बैंक नहीं होंगे ,तब जीरो बैलेंस वाला जनधन खाता कैसे खुलेगा, छात्रों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, जनरल स्टोर के दुकानदारों व अन्य छोटे-मोटे कारोबारियों को लोन कहां से मिलेगा? प्राइवेट बैंक वाले तो आपको डांट कर भगा देंगे। इसलिए भारत की जनता को अपनी संपत्ति पहचानना चाहिए। अपनी ताकत को समझकर बैंककर्मियों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर उनके संघर्ष में सहयोग करना चाहिए। जो सहयोग व जनसमर्थन आपने किसान आंदोलन को दिया और किसान आंदोलन सफल रहा। आपके उसी सहयोग व जन समर्थन की जरूरत आज सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मियों को है।

@ +91 9169330421

वादों की बौछार युवा मांगे रोजगार

▪ सुनील कुमार मौर्य

उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों के बाद ही होने वाली है चुनाव के पहले अलग-अलग सवाल राजनीति के विमर्श में आ रहे हैं पार्टियों का दावा और वादा खुलकर सामने आ रहा है।

लखनऊ की सड़कें चमचमाती होल्डिंग से पटी पड़ी है और अपने विकास के दावे लोगों के सामने रख रही है उसी दावे में रोजगार देने का भी दावा प्रमुख रूप से किया गया है जबकि भाजपा सरकार घोषणा यानी संकल्प पत्र में 70,00,000 रोजगार देने का वादा की थी और अब 04 साल में 04 लाख रोजगार का जोरदार प्रचार कर रही है। यह न सिर्फ लखनऊ में बल्कि दिल्ली में भी रोजगार देने में नंबर वन होने का विज्ञापन देखा जा सकता है। सत्ता पक्ष के बरस विपक्ष की पार्टियां नौजवानों को रोजगार ना मिलने और उन पर दमन की बात जोर शोर से उठा रही हैं और अगले चुनाव में रोजगार देने के लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं।

दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के लोक लुभावने वादे के साथ वर्तमान भाजपा सरकार 2019 में सत्ता में पुनः सत्तासीन होते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य ,रेल, डाक क्षेत्रों में निजीकरण का रास्ता पूरी तरह से देश के उद्योगपतियों के लिए खोल दिया है। रेल सुधार के नाम पर वर्तमान भाजपा सरकार, जो रेलवे क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, रेलवे कर्मचारियों की जबरन छटनी कर व लाखों पद को खत्म कर इस बड़े सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में सौंप कर इस क्षेत्र में भयंकर सरकारी रोजगार का संकट पैदा कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व रेलवे भर्ती का आवेदन निकाला गया, जिसमें देश के 02 करोड़ 42 लाख अभ्यर्थियों ने 500 की भारी फीस देकर आवेदन किया, लेकिन उनकी नियुक्त अभी तक नहीं हो पाई।

इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पीछे नहीं है। पिछले 4 साल में खुद आवेदन निकालकर 02 लाख सरकारी नौकरी ना देने वाली सरकार प्रदेश की जनता के बीच रोजगार देने में अव्वल होने के ढोंग का प्रचार जोर शोर से कर रही है। बड़े प्रशासनिक सुधार के नाम पर प्रदेश सरकार क्लोजर मर्जर नीति के तहत 10000 प्राथमिक विद्यालय को बंद करने व सिंचाई विभाग में 10000 पदों को समाप्त करने के साथ 95 विभागों को 54 विभागों में समाहित करने व समूह ग की भर्ती में 5 साल संविदा तथा नियुक्त पाने की अधिकतम उम्र 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने की योजना लागू कर प्रदेश के सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लाखों पदों को समाप्त



- सरकार स्थाई पदों को समाप्त कर ठेका- संविदा के आधार पर रोजगार देने का रास्ता खोल रही है।
- सरकार स्थाई सम्मानजनक रोजगार देने के बजाए कर्ज देने को ही रोजगार देने के रूप में प्रचारित कर रही है।
- पिछली सरकार में लंबित 22 से अधिक भर्तियां अभी तक अधर में है।

करने की योजना तैयार कर रही है। जिससे प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पाने का संकट और भी गहरा हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लांच कर प्रदेश की योगी सरकार दावा कर रही है कि वह उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के खूब अवसर उपलब्ध करा रही है। इसके तहत रोजगार के नाम पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के बात सरकार बोल रही है।

योगी सरकार द्वारा नियुक्त पत्र बांटने का दिखावा व भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद प्रदेश के सभी आयोगों बोर्डो में न सिर्फ नौकरियां कम हुई है बल्कि परीक्षाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार व समुचित आरक्षण का लागू ना होना आम बात होती जा रही है। सभी संस्थाएं समय से परीक्षा, परिणाम व नियुक्ति देने में अक्षम हो गई है। यूपीएसएसएससी भर्तियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है।

योगी सरकार द्वारा विज्ञापित की गई एक भी भर्ती इस आयोग द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है पीईटी (PET) के नाम पर भर्तियों को लटकाने व नौजवानों को अयोग्य साबित करने का काम जारी है। प्रधानमंत्री महोदय छह माह में नियुक्त देने की बात करते हैं लेकिन 6 साल में भी नियुक्त पूरी होती नहीं दिखाई देती. भर्तियों में भ्रष्टाचार, भर्तियों को पूरा ना करना, आरक्षण में अनियमितता ,न्यायालय में मामला लंबित होने की झलक वीडियो भर्ती, एसएससी में नॉर्मलाइजेशन, एलटी, यूपीपी व दरोगा, 69000 शिक्षक भर्ती मामला चंद उदाहरण भर है। आज इन हालात से नौजवान ठगे से महसूस कर रहे हैं। सरकार जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री के द्वारा नियुक्त कर लोकसेवा आयोग की स्वायत्तता व संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था खत्म कर रही है जो संस्था के साथ संविधान पर चोट है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों को लाठी, गाली और जेल में डाल कर कैरियर बर्बाद करने की धमकी मिल रही है .नौकरी पाने का दबाव इतना बढ़ रहा है कि नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है। कोरोनावायरस काल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई तो आपदा को अवसर बनाने की कुत्सित कला दिखाते हुए देश के 100 धन्ना सेठों की संपत्ति में 14% वृद्धि हुई है इस कमाई वृद्धि में अकेले मोदी के चहेते मुकेश अंबानी की संपत्ति में वृद्धि का 73% हिस्सा है जिसने कोरोना काल में 30.3 बिलियन यानी 373 अरब रुपए अपनी कमाई में जोड़ें हैं। देश के 63 अरबपतियों के पास 2019 के 2,24,42,200 करोड रुपए के आम बजट की तुलना में अधिक संपत्ति है। ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा हमारी अक्षम अर्थव्यवस्था आम लोगों की कीमत पर अरबपतियों और बड़ी कंपनियों की जेबें भर रही है। अगर 1% सर्वोत्तम धनी लोगों पर आधा प्रतिशत भी अतिरिक्त कर लगा दिया जाए तो अगले 10 सालों में 11करोड़ 70 लाख नौकरियां पैदा होंगी .इस तरह सरकार 01% टैक्स बढ़ाकर नौजवानों को रोजगार दे सकती है। जब तक रोजगार ना दे सके तब तक सरकार सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता की गारंटी कर सकती है। ▪

@ +91 8115766703



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सवर्णगाथा
निशाने पर दलित प्रोफ़ेसर



> इलाहाबाद की डेलीगेसियों में विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफ़ेसर रंजना वाजपेयी का यह कथन कि यदि अहीर, चमार, गड़ेरिया, धोबी, पासी, कोइरी, कुनबी के लड़के शोध करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगें? किसी भी आरक्षित तबके के छात्र से सुना जा सकता है।

▪ **अरविंद कुमार गदर**

इल्ज़ाम चाहे जो लगा लो,
हम सच कहने के आदी हैं,
सच कहना अगर बगावत है तो
समझो हम भी बागी हैं,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सवर्ण चरित्र पर सवाल क्या उठाए विश्वविद्यालय प्रशासन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। प्रो. विक्रम ने 21 अक्तूबर 2019 को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में विश्वविद्यालय के शिक्षकों-छात्रों पर जातिवादी होने और जाति के आधार पर छात्रों को अंक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे,



जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो विक्रम को नोटिस भेज कर जबाब माँगा है। साथ ही कार्रवाई की धमकी दी गई। प्रो. विक्रम का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी भी जाति के आधार पर अंक और प्रशासनिक पद भी दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक जैसा प्रदर्शन करने बाद भी जातिगत आधार पर नंबर दिए जाते हैं। सवर्ण और बैकवर्ड छात्रों के बीच अंकों का यह अंतर 25 से 50 प्रतिशत का होता है, खासतौर पर इंटरव्यू में।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातिगत आधार पर भेद भाव कोई नई बात नही है। प्रो. विक्रम का आरोप मिथ्या नही है। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में अलग अलग जातियों का दबदबा हुआ करता था, मंडल कमीशन लागू होने से पहले विश्वविध्यालय के अर्थशात्र विभाग में लालाओं (कायस्थों), हिंदी विभाग ब्राहमणों और इतिहास में जोशीयों का दबदबा हुआ करता था। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है विश्वविद्यालय में सवर्णवाद का इतना अधिक बोलबाला है जिसका परिणाम होता है कि शोध कार्यो के चयन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में अधिक अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में कम नम्बर दिया जाता है।

विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पीएचडी के लिए प्रयास कर रहे एक अभार्थी को लिखित परीक्षा में टाप करने के बावजूद साक्षात्कार में शून्य अंक दिया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो किसी प्रकार मैनेज किया गया, अभ्यर्थी ने अपने कैरियर को देखते हुए मामले को बहुत लम्बा खीचना मुनासिब नही समझा। इसी संकाय में पीएचडी के लिए प्रयासरत अन्य अभ्यर्थी जिसे इंटरव्यू में कम नम्बर देकर विश्वविद्यालय में प्रवेश नही दिया गया तो उसने अलीगढ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, बाद में जब आरटी आई के तहत सूचना से उसे अपने नम्बर पता चला और कोर्ट जाने की तैयारी की तो उसे मैनेज करने की कोशिश की गई, उस पर उसके गाईड के द्वारा इतना अधिक दबाव बनवाया गया कि उसे अलीगढ विश्वविद्यालय से भी शोध कार्य छोड़ना पड़ गया।

कौन हैं प्रो विक्रम

क्रन्तिकारी विचारों और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर विक्रम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर विक्रम दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने स्नातक गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरा करने के उपरांत स्नाकोत्तर,एमफिल और डाक्टर की उपाधि जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के बाद बतौर गेस्ट लेक्कचर जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर उन्होंने असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अगस्त 2013 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। उन्होंने 10 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओ और लेख अंतरष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रो विक्रम के समर्थन में आये तमाम छात्र एंव बुद्धिजीवी संगठन



इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. विक्रम को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस के ख़िलाफ़ दिशा छात्र संगठन, आइसा, सीएससी समेत तमाम अन्य संगठनों ने छात्रसंघ भवन पर विरोध प्रदर्शन किया

संत रविदास मंदिर परिसर में इलाहाबाद जिले भर के बुधिजीविओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रो विक्रम के समर्थन में एक सभा का आयोजन कर अपना समर्थन दिया।

कहाँ ज़ा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का आक्सफोर्ड कहा जाता था, ये बात उस दौर की थी जब इलाहाबाद उत्तर भारत के कुछ चुनिन्दा संस्थानों में शामिल था। इलाहाबाद में रह कर पढ़ना गर्व का विषय होता था लेकिन आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफ़ेसर भी अपने बच्चे को इलाहाबाद में पढ़ाना पसंद नही करेगा अब जबकि उसके पास जेएनयू और डीयू जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। क्या कारण है इलाहाबाद शिक्षा की इस दौड़ में पिछड़ गया?

इलाहाबाद में चर्चा परिचर्चा का अभाव रहा जेएनयू जैसे माहौल का निर्माण नहीं हो पाया, न तो उस प्रकार का कैंपस था और न ही उस प्रकार का अखिल भारतीय स्वरुप जहाँ देश के कोनें-कोनें से छात्र पढ़ने आते हो और एक दूसरे से अपनें विचारों को साझा कर सकें|

इलाहाबाद में वर्णाश्रम सिस्टम का हावी होना। अधिकतर शिक्षकों का चयन गुरुशिष्य परम्परा के द्वारा हुआ जिसके कारण शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ, नाम न छपने की शर्त पर इलाहाबाद विश्वविध्यालय के ही ये प्रोफ़ेसर ने बताया कि अधिकतर शिक्षको का चयन उन्ही का हुआ जिनके गाईड विश्वविध्यालय में रहे हों, ज्यादातर चयनित शिक्षक एक वर्ग विशेष/जाति विशेष से होते थे। अर्थशास्त्र विभाग में कायस्थों का, तो मध्यकालीन विभाग में जोशियों और हिंदी में विभाग में ब्राहमणों और बनियों का बोलबाला था। 1990 के दशक के बाद अब धीरे-धीरे एससी और ओबीसी के लोग भी आने लगे हैं।

मूल पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर इलाहाबाद में कुंजी और गाइड पढ़ने का चलन, जिसके चलते यहाँ के छात्रों तो तथ्यों से परिपूर्ण होते है लेकिन वैचारिक स्तर पर फिस्सडी साबित होते है, डॉ0 धर्मेन्द्र कहते हैं कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं और पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा में तो कुंजी और गाइड से काम चल जाता है लेकिन मुख्य परीक्षा में टेक्स्ट बुक पढ़े बिना काम नही चलता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लगातार विवादों में बना रहना,मुख्य परीक्षा में पीसीएस के पेपर का लीक होना और साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेद भाव पूर्ण रवैया। इसके साथ ही साथ संस्कृत और





उर्मिलेश
वरिष्ठ पत्रकार

मुझे समझ में नहीं आया कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की टिप्पणी के विषय या ऐसे अनेक मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की बजाए विश्वविद्यालय प्रशासन बयान देने वाले शिक्षक के विरुद्ध नोटिस क्यों जारी किया? उनसे बयान को लेकर स्पस्टीकरण और साक्ष्य मांगा गया है, साथ में धमकी भी है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।

प्रोफेसर ने किसी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा था कि विश्वविद्यालय में उत्पीड़ित और पिछड़े समुदाय के छात्रों के साथ अंक देने के मामले में अन्याय किया जा रहा है। इसका उन्होंने कुछ विवरण भी दिया था। अगर प्रोफेसर की यह बात गलत है तो विवि प्रशासन को अविलंब इसकी जांच करा लेनी चाहिए ताकि हमेशा के लिए ऐसे बयानों से उसे मुक्ति मिल जाय!

पिछले दिनों एक छात्र ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विश्वविद्यालय में ऐसे भेदभाव की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस बीच, जीबी पंत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आदि की नियुक्ति में ओबीसी और अन्य उत्पीड़ित समुदाय के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की सप्रमाण-खबरें भी उद्घाटित हो गयीं. संस्थान को फैसला बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी. नियुक्ति प्रक्रिया में एक भी 'योग्य ओबीसी अभ्यर्थी' नहीं मिला था! ऐसे में यह बात समझ से परे है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आत्म-निरीक्षण और आत्म-संशोधन की बजाए एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को प्रशासकीय कोप का निशाना क्यों बना रहा है? मुझे लगता है, इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए|

दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को वरीयता प्रदान करना। डॉ0 दिनेश के अनुसार संस्कृत और दर्शन शास्त्र ऐसे विषय है जिन पर एक जाति विशेष का एकाधिकार है, यह कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आज अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं|

लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा पैटर्न में बदलाव इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा, सीसैट परीक्षा प्रणाली से तकनीकी शिक्षा प्रणाली को बल मिला इस संदर्भ में आलोक नाथ सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा इंजीनियरिंग शैक्षणिक पृष्टभूमि के छात्रों को वरीयता दी जा रही है साथ ही साथ भाषाई आधार पर भी छात्रों से भेदभाव किया जा रहा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को अधिक वरीयता दी जा रही है।

बड़े पैमाने पर प्रतिभावों का पलायन जेएनयू और डीयू जैसी संस्थाओं की ओर हुआ, संपन्न और प्रतिभाशाली क्षेत्रों ने बड़े शहरों की ओर रुख किया जहाँ सीखने और सिखाने के अवसर अधिक हैं। शिक्षा के नये केंद्रों का उदय हुआ, शिक्षा के नये केंद्र बनकर उभरे। आई.आई.टी और मेडिकल की पढाई के बड़े केंद्र तो लोग जगह बनाए, लेकिन प्राइवेट टेक्नीकल संस्थानों ने परम्परागत विश्वविद्यालयों की नीव हिला दी। मोहम्मद साहिल कहते हैं कि इन्टरनेट और मल्टीमीडिया में पाठ्य सामग्री और आनलाईन पढाई को दूर-दूर तक पंहुचा दियाहै, जरुरी नही रह गया कि लोग तैयारी के लिए इलाहाबाद ही आयें|

पूर्वांचल का अधिक प्रभाव

इलाहाबाद में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का प्रभाव अधिक है, पहली बार इलाहाबाद आने वाला लड़का किसी सगे संबंधी, नात हित के संपर्क से यहाँ आता है, धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाता और उसका अध्ययन का मूल उदेश्य गौण हो जाता है।

इलाहाबाद पहुंचनें वाले अधिकांश विद्यार्थी कमजोर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से होते है, उन्हें एक एक सुविधाएं जुटाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे में छोटी से बड़ी एक नौकरी हासिल करना उनका प्रथम लक्ष्य होता है। ▪

@ +91 9670266760

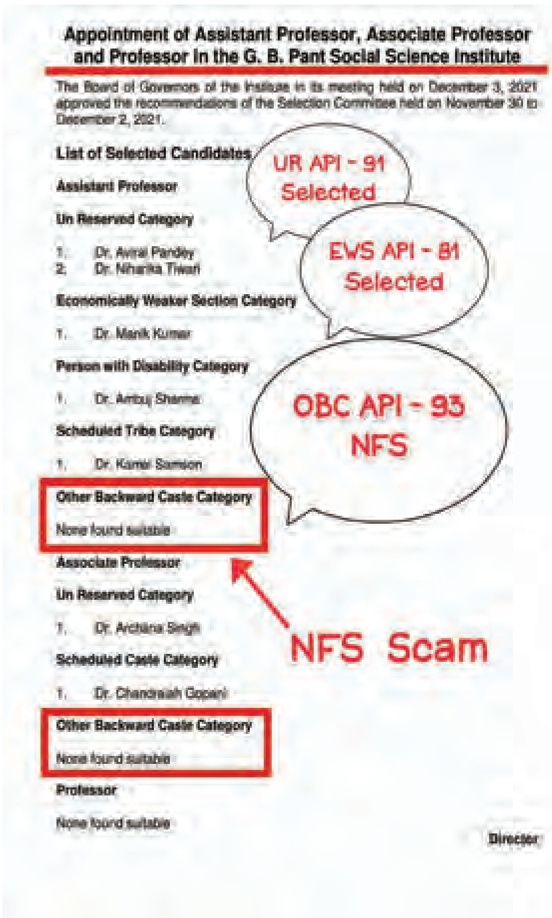
एनएफएस : आरक्षण पर डकैती



▪ **परिभाषा**

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम ने इलाहाबाद विश्वविधालय में जातीय आधार भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाई थी। डॉ. विक्रम की बातों की पुष्टि हो गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक स्वायत्त संस्थान गोविंद बल्लभ सामाजिक संस्थान में सहायक प्रोफेसर के लिए भर्ती के दौरान सामान्य श्रेणी से अधिक एपीआई के आरक्षित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए, कम एपीआई के सवर्ण अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। समूची भर्ती प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गयी। संस्थान के निर्देशन बद्रीनारायण तिवारी जो बहुजन चिंतक का मुखौटा लगाए सजातियों का हित साधने में लगे हुए है।

झूंसी में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में अस्सिटेंट प्रोफेसर के लिए 7, एसोसिएट प्रोफेसर के सात एवं प्रोफेसर के लिए नौ यानी कुल 23



Appointment of Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the G. B. Pant Social Science Institute

The Board of Governors of the Institute in its meeting held on December 3, 2021 approved the recommendations of the Selection Committee held on November 30 to December 2, 2021.

List of Selected Candidates

Assistant Professor

Un Reserved Category

1. Dr. Aviral Pandey
2. Dr. Niharika Tiwari

Economically Weaker Section Category

1. Dr. Manik Kumar

Person with Disability Category

1. Dr. Ambuj Sharma

Scheduled Tribe Category

1. Dr. Kamal Samson

Other Backward Caste Category

None found suitable

Associate Professor

Un Reserved Category

1. Dr. Archana Singh

Scheduled Caste Category

1. Dr. Chandraiah Gopani

Other Backward Caste Category

None found suitable

Professor

None found suitable

Director

पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। साक्षात्कार में सामान्य श्रेणी के पदों पर सवर्ण उम्मीदवारों का तो चयन कर लिया गया लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का एपीआई सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक होते हुए भी उन्हें चयन के योग्य ही नही पाया गया। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को यदि साक्षात्कार में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से कम अंक भी दिया जाता तो वह चयन का हक़दार हो जाता। अनारक्षित का एपीआई 91, ईडब्लूएस का एपीआई 81 तथा ओबीसी का एपीआई 93 रहा है, भी सहायक प्रोफेसर के पद पर 93 होने के बावजूद भी साक्षात्कार में योग्य उम्मीदवार नही मिला लिख कर ओबीसी अभ्यर्थियों को जबरिया बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओबीसी वर्ग के सभी पद रिक्त रह गए। ओबीसी अभ्यर्थियों ने संस्थान और चयन समिति के भेदभावपूर्ण रवैये की शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से किया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने संस्थान द्वारा पिछली की गई भर्तियों का ब्यौरा मागते हुए संस्थान के



मयंक यादव

इंटरव्यू में NFS ही नहीं बल्कि बेईमानी तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही शुरू कर दी गई थी। इंटरव्यू के लिए की गई शार्ट लिस्टिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ सवर्णों को ही कॉल किया गया,मसलन 87 एपीआई स्कोर वाले सवर्ण को अनरिसर्व कैटेगरी में और हाईएस्ट 93 एपीआई स्कोर वाले वाले को ओबीसी में, यानि जो अनरिजर्व कैटेगरी ओपन तो आल होती है उसे इंटरव्यू से पहले ही गैर कानूनी रूप से सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिया गया, अर्थात करीब 40 फीसदी सवर्ण आरक्षण इंटरव्यू से पहले ही लागू कर दिया गया। उसके बाद जब इंटरव्यू मे ओबीसी कैटेगरी में जहां किसी भी तरह सवर्ण नही भर सकते थे, नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया|

चयन और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण, अनियमित और ओबीसी हितों के खिलाफ है| इंटरव्यू लेने वाली कमिटी में कोई भी ओबीसी और माइनोरिटी का सदस्य नहीं था, जो कि डीओपीटी के अनिवार्य निर्देशों की अवहेलना थी, एक कैंडिडेट जिनकी मेरिट लो थी उनके पिता प्रोफ़ेसर प्रदीप भार्गव न सिर्फ इंटरव्यू लेने वाली कमिटी के सदस्य थे बलिक इंस्टिट्यूट के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सदस्य हैं, इंस्टिट्यूट की वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अर्चना सिंह खुद एक कैंडिडेट थी और एसोसिएट प्रोफ़ेसर पर चयनित हुई, इसके अलावा और भी तमाम विसंगतियां थी।

जब मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में करीब डेढ़ घंटे चली सुनवाई में प्रो बद्री नारायण तिवारी के पास आरोपों का कोई भी सटीक और तार्किक जवाब नहीं था| खुले आम आरक्षण नियमों की धज्जियाँ उड़ाने, डीओपीटी रूल्स फॉलो न करने और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट (इंदिरा साहनी , आर के सभरवाल जैसे निर्णयो) को न मानने, गलत रोस्टर बनाने पर प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि उन्हें 'नियम नहीं पता थे'और आगे से वे ऐसा नहीं करेंगे,रोस्टर ठीक कर लेंगे. हमारी दलील थी कि कानून का ज्ञान न होना कोई बहाना नहीं हो सकता और ये भारतीय कानून में मान्य नहीं है और इसके साथ ही हमने कमीशन से गुजारिश की कि इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, डीओपीटी रूल्स, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतो स्पष्ट अवहेलना है, साथ ही हितों का टकराव है, इसलिए पूरी भर्ती को निरस्त किया जाये, और इस तरह के अक्षम लोगों (जो पकडे जाने पर कहते हैं उन्हें कानून का ज्ञान नहीं था) को इस तरह की भर्ती से दूर रखा जाए|

(टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस से क़ानून की पढ़ाई कर रहे मयंक यादव ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और एसोसिएट प्रोफ़सर के पदों पर हुई भर्ती में गड़बड़ी को उजागर किया और मामले की शिकायत पिछड़ा वर्ग आयोग से की थी)

निदेशक प्रो बद्री नाथ तिवारी से जवाब तलब कर लिया है।

नौकरियों में साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग के लिए भेद भाव कोई नई चीज नही है। अक्सर साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नाट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट (NFS) लिख दिया जाता है। चाहे संघ लोक सेवा हो अथवा राज्य के लोक सेवा आयोग हो कमोबेश स्थिति सभी जगह एक सी ही है। संघ लोक सेवा आयोग में तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सामान्य वर्ग के साक्षात्कार से अलग ही होता है, जिसमें साक्षात्कार में बैठे लोग पहले से पूर्व धरणा बना लेते हैं कि आने वाला अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में कितना भी बेहतरीन प्रदर्शन हो लेकिन उन्हें साक्षात्कार में नम्बर कम ही मिलते है। इसीलिए साक्षात्कार में सवर्ण अभ्यर्थियों के न्यूनतम और आरक्षित श्रेणी के अधिकतम अंक में कोई विशेष अंतर नही होता है।

कई मामलों में तो उन्हें जबर्दस्ती अनुपयुक्त मानकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसा सिर्फ संघ लोक सेवा या राज्य सेवा आयोगों में ही नही बल्कि सभी नियुक्तियों में होता है।

विश्वविद्यालयों में तो नियुक्तियों को इतना जटिल बना दिया गया है कि आरक्षित वर्ग के कम से कम अभ्यर्थी साक्षात्कार तक पहुंच पाते है क्योंकि प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर बनने के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नही होती है बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होती है।

जहां एपीआई (एकेडमिक परफार्मेन्स इण्डेक्स) निर्धारित होती है। बेहतर एपीआई के लिए विभिन्न गतिविधियों होती है जो संपर्कों द्वारा निर्धारित होती है। पत्र पत्रिकाओं में लेखों के लिए नंबर निर्धारित होते है, जिन पत्र पत्रिकाओं को यूजीसी ने मान्यता दे रखी है वो अधिकतर सवर्णों के द्वारा संपादित होती है जिनमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का लेख छापना मुश्किल ही नही नामुमकिन है। साथ ही साथ यदि किसी का लेख छप भी गया तो इसके लिए उसे मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है।

@ +91 8826063330



वासुदेव यादव

एमएलसी/ पूर्व शिक्षा निदेशक (उ.प्र.)

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधीन जी. बी. पंत सामाजिक विज्ञान इस्टीट्यूट में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का एपीआई (एकेडमिक परफार्मेन्स इण्डेक्स) सामान्य वर्ग और ईडब्लूएस अभियार्थियों से अधिक होने के बावजूद भी ओबीसी अभ्यर्थियों को एनएफएस (Not/none found suitable) करार कर दिया गया जो संविधान के विरूद्ध तो है ही साथ ही साथ इस सामाजिक शोध संस्थान के उद्देश्यों व लक्ष्य पर एक प्रश्नचिन्ह भी लगाता है। एनएफएस के माध्यम से बहुसंख्यक आबादी को चयन से बहिष्कृत किये जाने का तरीका बना दिया गया है। संस्थान में हुई संविधान विरोधी नियुक्तियों को निरस्त करने हुए पुनः नियुक्ति प्रकिया पूर्ण किये जाए तथा अनारक्षित वर्ग में निर्बाध रूप से सभी वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों को शामिल करते हुये चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाय। अनियमितता करने वाले व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाए।



तेजस्वी की शादी लवजिहाद के दायरे में ?

बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष,बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते 8 दिसंबर को दिल्ली में अपने स्कूल की दोस्त रेचल से शादी कर ली।स्कूल की दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए हैं ।जब से इस शादी की बात सामने आई चर्चा का विषय बनी हुई है।यह शादी एक राजनीतिक शादी होने के कारण चर्चा का विषय तो है ही;साथ ही इसमें जिस लड़की से विवाह किया गया है वह दूसरे धर्म क्रिस्चियन की होने के कारण और भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।



बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस शादी को लेकर के कहा कि - यह समाज में तेजस्वी का एक बड़ा काम है। इसके लिए तेजस्वी यादव को मैं बधाई देता हूं। इससे भी बढ़कर उन्होंने आगे कहा कि हमने भी अंतर जाति विवाह किया था और तेजस्वी यादव ने भी किया है। तेजस्वी ने हिम्मत करके अंतर धार्मिक शादी की है। अंतर जाति या अंतर धार्मिक शादी होती है तो इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर तेजस्वी भी आवेदन करें तो बिहार सरकार की योजना का रुपए पचास हजार पुरस्कार देने का विचार तेजस्वी को लेकर भी किया जा सकता है या किया जाएगा।

तेजस्वी और रेचल की यह अंतर धार्मिक शादी और भी कई मुद्दे उठाती हैं|देश और समाज के समस्याओं पर कुछ गंभीर गहन सोचने को मजबूर करती हैं। ये शादी उन तमाम घटनाओं, उन तमाम बदलावों कि ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जो हाल के दौर में गली मोहल्ले से लेकर मीडिया के गलियारों में हलचलें उत्पन्न की।

जबकि हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गई लड़कियों के लिए अधिक विवाद होते रहे हैं। उन शादियों को लेकर के कुछ ऐसे कानून भी बने जिसकी अप्रासंगिकता को देखते हुए न्यायालय को सख्त टिप्पणी और ऐसे बेवजह कानून को रोकने के लिए आदेश पारित करना पड़ा।

2016 में 24साल की हादिया ने शफीन से विवाह कर लिया।शादी

लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगते रहे हैं कि यादव के अलावा अन्य जातियों में शादी नहीं करते हैं, लालू ने लोगों के इस भ्रम को तोडा ही नही बल्कि रेचल को अपनी बेटी राजश्री का नाम भी दिया। जब तक सामाजिक न्याय के पैरोकार अंतरजातीय विवाह नहीं करेगें तब तक जाति तोड़ो मुहिम को पंख नहीं लगेगें। तेजस्वी ने अंतरजातीय शादी ही नहीं बल्कि अंतर धार्मिक शादी भी की।

के लिए इस्लाम धर्म भी स्वीकार किया और अखिला से हादिया बन गई। जनवरी 2016 में इस बात को लेकर के अखिला (अब हदिया) के पिता न्यायालय में गए और इस शादी को मानने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। केरल हाईकोर्ट में इस मामले को संज्ञान में लिया गया और 2017 में इस शादी को रद्द कर हदीया को को उसके माता-पिता को सौंप दिया। सादिया के पति सफीन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया और इस फैसले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया।

वर्तमान में एक और मुद्दा विवाह कानून को लेकर ही तूल पकड़ा हुआ है और वह मुद्दा है लव जिहाद कानून का मुद्दा। लव जिहाद का सीधा अर्थ हुआ कि अर्थ हुआ की अपने धर्म के प्रचार के लिए शादी करना और शादी करने के बाद उस लड़की को जबरी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना। प्रचलित अर्थ में आज लव जिहाद शब्द वैसे शादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमंर कोई मुस्लिम पुरुष धर्मांतरण के इरादे से किसी महिला से शादी कर लेता है इसके साथ ही वह महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी करता है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 27 नवंबर2020 को पारित कर दिया। ज्ञात हो कि यूपी में पारित इस कानून के बाद भारत के 2 राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह का कानून पास किया है जिसमें अंतर्जातीय शादी को करने से पहले शासन से अनुमति लेना और दोषियों के लिए 1 साल से लेकर 7 साल तक कारावास की व्यवस्था है। जिसमें ज्यादा चिंता भारत की जाति व्यवस्था से जकड़े समाज को ध्यान में रख कर बनाया गया लगता है या यों कहें कि हिंदू धर्म से लड़कियों के जाने की है,दूसरे धर्मो से हिंदू धर्म में आने वाली लड़कियों को लेकर ज्यादा संजीदगी नही है।

कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दौर नित नए बदलावों और निर्मित हो रहे नए मूल्यों का दौर है।अगर हम बदलते हुए समय के साथ चलने में असमर्थ हुए तो अपने साथ सारे समाज पूरे देश को भी पिछड़ेपन और अंधकार के दलदल में घसीटने का कार्य करेंगे। अभी हाल में मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर में 2018 बैच की आई एफ एस ऑफीसर गर्विता गंगवार कि अंतर्जातीय शादी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है जिसमें गर्विता ने यह कहते हुए कन्यादान की रस्म से इंकार कर दिया कि मैं दान की चीज नहीं आपकी बेटी हूं। तेजस्वी और गर्विता जैसे नौजवानों से आगे और भी बदलाव के उदाहरण पेश किए जाएंगे इसके लिए समाज को सकारात्मक बदलाव के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान, कब्रगाह शमशान जैसे मामलों से दिन दुनिया का भला होने वाला नहीं।

▪ **छोटेलाल यादव**

पूर्व प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता सैदपुर, गाजीपुर



गजब का गाजीपुर

▪ **प्रवीण कुमार यादव**

गाजीपुर जिला मुगल काल में शानदार इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने अपने नामकरण के बारे में बताया है जिसके माध्यम से गाजीपुर का नाम साइय्याद मसूद गाजी है। इस्तेकबल कहते हैं कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए जाने जाने वाले सैय्यद मस्सद गाजी ने 1330 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह उस्ताद गाजी मशूक द्वारा स्थापित है। गाजीपुर के विभिन्न शहरों के नामकरण के बारे में ज़मानिया तहसील गाज़ीपुर जिले का नाम सैयद अली कुली खान के नाम पर रखा गया है।

यह जिला सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान एक प्रमुख शहर था। पहाड़ खान का पोखरा, नवाब सूफी के मस्जिद और अल्लालाबाद और कासिमाबाद किले शेख अब्दुल्ला द्वारा अपने अतीत के इतिहास की झलक दिखाते हैं। कुतुबुद्दीन ईबक ने 1194 ईस्वी में बनारस (अब वाराणसी) और जौनपुर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं ने इस क्षेत्र को संभाला। हुमायूं की एक ऐतिहासिक घटना इस जगह से जुड़ी है (मुहम्मदाबाद के शेरपुर गांव में स्थित है) जिसमें एक भिस्टी ने हुरहुआ को शारेश सूरी द्वारा चौसा की लड़ाई में पराजित होने के बाद नदी गंगा पार करने के लिए बनाया था। 1552 ईस्वी में यह जगह ताज खान किरानी के अधीन थी और 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में आदिल शाह को हराने के बाद अकबर ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की।

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा



वीरों की धरती



गाजीपुर जिले को वीरो की धरती भी कहा जाता है। मरणोपरान्त परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद यहीं के रहने वाले थें।एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर इसी जिले का हिस्सा है। जहां आज भी लगभग सभी घरों के न्यूनतम एक लोग सेना में तैनात है।

1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर और गाजीपुर जीता जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित था। कंपनी ने श्री रिचर्डसन को एक



परमवीरचक्र विजेता
वीर अब्दुल हमीद

धामुपुर

यह गाजीपुर शहर से 37 किमी दूर एक छोटा सा गाँव है जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म स्थान भी है। वीर अब्दुल हमीद, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना में एक सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की कई टैंकों को नष्ट किया था तथा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।





सैदपुर भीतरी

सैदपुर

यह गाजीपुर का एक सबसे बड़ी तहसील है सैदपुर के भीतरी में गुप्त साम्राज्य द्वारा बनाया गया स्तंभ लेख है जिसे इतिहास में भीतरी का स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस की मृत्यु यहीं हुई थी तथा वे यहीं दफन हैं। लार्ड कार्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है।

न्यायाधीश के रूप में पोस्ट किया और श्री रॉबर्ट वॉर्लो को इस जिले के पहले कलेक्टर बनाया गया।

गाजीपुर जिले की बसावट

गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त का एक शहर एवं गाजीपुर जिले का मुख्यालय है। गाजीपुर जिला पिछड़ा बाहुल्य जिला है, वर्तमान में जिला मुख्यालय के के मुहल्लों में तो मिश्रित आबादी है लेकिन मुख्यालय के आस पास के गाँव दलित और पिछड़ा बाहुल्य आबाद है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला पशुपालन और खेती के लिहाज से अनुकूल था।यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत समीप स्थित है। गाजीपुर में पिछड़ा बाहुल्य गाँव गोपालपुर, मिर्जापुर, देवकठिया, मिट्ठापारा, कुस्मीकलां, सहजतपुर, टोड़रपुर, सकरताली, विद्यापारा, चौकिया हैं जहाँ बड़ी संख्या में खेतिहर और पशुपालक जातियां निवास करती हैं। गहमर एशिया का सबसे बड़ा गाँव है यहाँ की कुल आबादी लगभग 120000 है, यहाँ मिश्रित आबादी है, लेकिन अधिक संख्या पिछड़ों की है। जीरकपुर, सैदपुर, रेवतीपुर, करीमुद्दीनपुर, खानपुर, जंगीपुर गाजीपुर जिले के पुर लगे मुहल्ले हैं। गाजीपुर के ऐसे मुहल्ले जिनमें बाद लगा है मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, बहरियाबाद, शादियाबाद हैं। नोनहरा, मरदह, विरनो, भवरकोल, बरेसर, भूडकुडा ऐसे मोहल्ले हैं जिनका नामकरण योजनाबद्ध तरीके से नही किया गया है बल्कि आम जनता में प्रचलित शब्दों के आधारपर इनका नामकरण हो गया। ▪

@ +91 9415888054



अंग्रेजों ने नील, अफीम, केवड़ा और गुलाब की खेती के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी तरह का अफ़ीम फैक्टरी स्थापित किया है। यह वर्तमान में काम कर रहा है और सरकार को राजस्व मुहैया करा रहा है। अफीम ऑलोकॉलाइड का उत्पादन करके भारत का ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल की खाड़ी के माध्यम से इस कारखाने में अफीम का संचालन नौकाओं पर चीन के लिए किया गया था।गाजीपुर, अंग्रेजों द्वारा 1820 में स्थापित, एशिया में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए प्रख्यात है। यहाँ हथकरघा तथा इत्र उद्योग भी हैं।



भीखारी ठाकुर
लोक कलाकार, रंगकर्मी लोक जागरण के सन्देश वाहक
की जयंती 18 दिसंबर पर
बसावन इंडिया *मासिक पत्रिका परिवार की ओर से नमन*

21 वीं सदी के 21 वें साल की 21 खबरें

▪ **बसावन इंडिया डेस्क** आम जनमानस के बीच चर्चा में रही या सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई वो खबरें जिन्होंने जनमानस को प्रभावित किया और बहस के लिए उसकाया।



नीट आरक्षण

देश भर में मेडिकल कालेजों में नीट परीक्षा में ओबीसी कोटा लागू किये जाने के लिए 40 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों के समूह 'ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन' ने केंद्र सरकार पर ओबीसी छात्रों को उनके अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया।27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण साल 2017 से साल 2020 तक छात्रों को न मिलने के कारण 11 हज़ार से ज्यादा ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्रों को नुक़सान हुआ है। इस नुक़सान का फ़ायदा सामान्य वर्ग के लोगों को हुआ है।साल 2017 से लेकर 2020 के दौरान इन सीटों पर ओबीसी आरक्षण ना मिलने से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (मेडिकल-एमडी, एमएस) में 7,307, अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम (मेडिकल-एमडी, एमएस) में 3,207, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (डेंटल) में 262 और, अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम में 251 छात्रों का नुक़सान हुआ है।

किसानों की कुचलकर हत्या



लखीमपुर खीरी का तिकुनिया सुर्ख़ियों में रहा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे चार किसानों को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से कुचल मार दिए जाने के बाद उपजी हिंसा में चार और लोग मारे गए। तमाम प्रतिक्रियाओं और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आशीष मिश्र की गिरफ़्तारी तो हुई लेकिन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा से अभी तक इस्तीफा नही लिया गया।

नेता नही नबाब

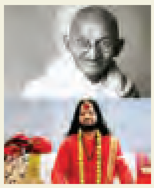


हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दो तस्वीरों को लेकर विवाद तब हो गया जब अनिल विज के पैर धोते तस्वीर वायरल हो गया।जिन तस्वीरों को लेकर विवाद हो रहा है उनमें से एक तस्वीर में कुछ लोग सोफे पर बैठे विज के पांव धोते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में यही लोग मंत्री के सामने खाने की मेज पर अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ हाथ जोड़े खड़े थे।

मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी



तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने यह घोषणा कि 100 दिनों में 200 गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इस फैसले में यह कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार 100 दिन का शैव अर्चक कोर्स शुरू होगा,इस कोर्स में करने के बाद कोई भी गैर ब्राह्मण पुजारी बन सकता हैं। उक्त नियुक्ति तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडामेंट डिपार्टमेन्ट (एचआर एंड सीई) के अधीन आने वाले 36000 मंदिरों में होंगी, साथ ही यह बताया गया है, कि आने -वाले कुछ ही दिनों में 70-100 गैर ब्राह्मण पुजारियों की पहली लिस्ट जारी होगी। स्टालिन सरकार के गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति के फैसले का तमिलनाडु की भाजपा इकाई ने जमकर विरोध किया। साथ ही स्टालिन सरकार बनाम भाजपा व पुरोहितवाद में देश भर में सीधे तकरार देखने को मिली|



बापू के लिए विष वमन

छत्तीसगढ़ रायपुर के रावण भाटा मैदान में दो दिवसीय कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। कालीचरण ने कहा, "इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है, हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था।.. उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था।.. मैं नाथूराम गोडसे को साष्टांग प्रणाम करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की।"बापू के खिलाफ कालीचरण के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने निंदा की और कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायपुर के टिकरापारा थाना में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और खजुराहो से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।



मिस यूनिवर्स 2021

हरनाज संधू ने इस साल मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। इसी के साथ 21 साल बाद इंडिया ने 'मिस यूनिवर्स' का खिताब अपने नाम किया। मॉडल और एक्टर हरनाज संधू चंडीगढ़ से हैं और उन्होंने 80 देशों की सुंदरियों को ब्यूटी-विद-ब्रेन के इस कॉन्टेस्ट में मात दी।



कोरोना कहर

साल 2021 में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया। देश में स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की पोल खुल गई। हालत ये थी कि गंगा में लोगों ने शवों को फेंक दिया था। गंगा नदी कोरोना से मरने वालों की लाशों का 'डंपिंग ग्राउंड' बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के बालू में दफना दिए गए हजारों शवों के लेकर प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई।उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लाशें गंगा में बहती नजर आई थीं। बाद में सरकार ने इन शवों का निस्तारण किया।



कुंभ में वित्तीय घोटाला

सीएजी की 2019 के प्रयागराज कुंभ की रिपोर्ट में बड़ा घोटाला सामने आया है। इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेले के लिए 2743.60 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। कुंभ में टेंट, पंडाल, बैरिकेडिंग कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष मेला अधिकारी ने 143.13 करोड़ रुपये के कार्य कराए। लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत दरों से कई गुना ज्यादा रेट पर सड़क निर्माण किया। आपदा राहत कोष से गृह (पुलिस) विभाग को 65.87 करोड़ रुपये के आवंटन को भी सीएजी ने अपव्यय बताया है। कुंभ मेले में जिन 32 ट्रैक्टर को खरीदा, उनमें से चार के रजिस्ट्रेशन नंबर एक मोपेड, दो मोटरसाइकिल और एक कार के थे। सरकार ने वहां पर 42 हजार रुपये की दर से शौचालय निर्माण कराया। अस्थायी टेंट लगाने पर 231.45 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि सीएजी का कहना है कि इसका कुल भुगतान 143 करोड़ रुपये ही होना चाहिए था। 10,500 रुपये की एलईडी लाईट का 22,650 रुपये की दर से भुगतान कर इस मद में 32 लाख रुपये का चूना लगाया गया।

लखीमपुर में चीर हरण



उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान एक महिला के साथ बदसुलूकी और चीर हरण की घटना चर्चा में रही। जिसका विडिओ सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। जिस महिला पर हमला किया गया, वो नामांकन पत्र दाखिल करने वाली एक उम्मीदवार के साथ थी। पंचायत चुनावों के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा कई जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा और गुंडई का नंगा नाच हुआ।

दलित भोजनमाता



उत्तराखंड में चंपावत जिले के सूखीढांग में अनुसूचित जाति की भोजन माता के हाथों बना खाना सवर्ण बच्चों ने बंद कर दिया था। जिसके कारण अनुसूचित जाति की भोजन माता सुनीता देवी को हटा दिया गया और अग्रिम आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में बढ़ाते हुए दबाव के चलते उनकी फिर से बहाली हुई। इसी दौरान नियुक्त की गई सवर्ण भोजन माता के बनाए भोजन का एससी वर्ग के छात्र-छात्राओं ने बहिष्कार शुरू कर दिया है।उनका कहना है कि 'जब एससी वर्ग की भोजन माता के हाथों का भोजन सामान्य वर्ग के विद्यार्थी नहीं खा सकते तो वह भी सवर्ण भोजन माता के हाथों का बना भोजन नहीं खाएंगे'।

प्रेम संबंधो में दलित हत्या



उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक धोबी लड़के की हत्या इस लिए कर दी गयी कि उसने ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। अनीश कुमार चौधरी और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। कैंपस में हुई मुलाकातों के बीच अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया।



राम जन्मभूमि जमीन घोटाला

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद अयोध्या की ज़मीन खरीदने की होड़ मच गई, जिसमें नियम क़ानूनों का उल्लंघन जम कर किया गया।सरकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े राजनीतिक नेता ही नहीं, सत्तारूढ़ दल के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता तक इसमें शामिल थे और उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। इतना ही नहीं, इसमें ट्रस्ट तक शामिल थे।'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, महर्षि योगी की संस्था महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (एमआरवीटी) ने राम मंदिर से सिर्फ पाँच किलोमीटर की दूरी पर 21 बीघा यानी लगभग 52 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन नियमों का उल्लंघन कर दलितों से खरीदी। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स के अनुसार कोई भी ग़ैर-दलित ज़िला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बगैर किसी दलित से ज़मीन नहीं खरीदी। दलितों से यह ज़मीन 6.38 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि इसकी कीमत लगभग 8.50 करोड़ रुपए थी। अयोध्या के डिवीज़नल कमिश्नर एम. पी. अग्रवाल के ससुर और साले ने क्रमशः 2530 वर्ग मीटर और 1260 वर्ग मीटर ज़मीन एमवीआरटी से खरीदी। 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता और पुलिस आईजी दीपक कुमार के रिश्तेदारों ने 1130 और 1020 वर्ग मीटर ज़मीन ट्रस्ट से खरीद ली। भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में नेताओं ने भी हाथ धोया। अयोध्या ज़िले में गोसाईंगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। यूपी काडर के रिटायर्ड आईएएस अफ़सर उमाधर द्विवेदी ने भी अयोध्या की यह जमीन खरीदी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल



उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर गोरखपुर, आगरा और कासगंज जिला सुर्ख़ियों में रहा। गोरखपुर में एक युवा व्यवसायी मनीष गुप्ता की वसूली के चलते हुई पिटाई से मौत, आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत और कासगंज में अल्ताफ की 1-2 फ़ीट ऊँची टोटी से लटक कर आत्महत्या किये जाने की घटना से कई सवाल उपजे। एक ट्विटर यूजर ने अपनी ट्विट में लिखा, "थाने की बाथरूम में लगी नल की टोंटी से लटककर कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस? क्या आरोपी की लंबाई 1-2 फ़ीट थी?"।

127वां संविधान विधेयक



महज तीन दिनों में केन्द्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित करवा दिया बिलकुल वैसे ही जैसे 10% इडब्लूएस का आरक्षण। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 123वां संशोधन लाया गया जोकि 102वां संशोधन के रूप पास हुआ था, व इस संशोधन के द्वारा धारा 366 में 26 सी जोड़ा गया व केन्द्र व राज्य की अलग-अलग ओबीसी सूची बनाने का प्रावधान रखा गया, धारा-ए 338 में 338 बी को जोड़ा गया व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 342-ए में 1 जोड़ा गया, जिसमें संघ सरकार की नौकरियों हेतु ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया व 342 ए-2 में राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण हेतु ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा जब राज्यपाल, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। कई राज्य सरकारों द्वारा इसका विरोध भी किया गया।

किसानों की जीत



विवादित कृषि कानूनों को सरकार ने 2021 के नवंबर में वापस ले लिया। किसान संगठन लगातार विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। किसान संगठनों का तर्क था कि कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमोकरम पर छोड़ देगी। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास एक साल से आंदोलन पर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे।

जातीय दबंगई में दलितों की हत्याएं



इलाहाबाद के फाफामऊ क्षेत्र के गोहरी गांव में एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी और उसी परिवार के 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हत्या से पहले बलात्कार की आशंका भी जताई गई थी। यह हत्या गांव के सवर्ण परिवार द्वारा जातीय दबंगई में की गई। उत्तर प्रदेश में पहले भी जातीय उत्पीड़न की घटनाओं के लिए समाचार में आता रहा है। प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर-परसठ गांव के कुर्मी जाति बाहुल्य गाँव को दबंगों ने जला दिया था। घटना में हुई आगजनी से पूरी गृहस्थी का सामान और मवेशियों जलकर मर गए थे।

जय भीम



9.5 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आईएमडीबी रेटिंग में इस साल साउथ इंडियन फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर रही। साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली फिल्म भी बनी। फिल्म में दलितों से जुड़े कई मुद्दे दिखाने के चलते भी सूर्या स्टार यह फिल्म काफी चर्चा में बनी रही। इसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी



बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 2017 में ऑक्सिजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। वह जेल भी गए थे। अब सरकार ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। इन्सेफेलाइटिस बीमारी से प्रभावित गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की कमी की वजह 65 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। डॉक्टर कफील खान का नाम 3 साल पहले सुर्खियों में आया था। जब डॉ. खान ने एक एक निजी अस्पताल से आक्सीजन सिलेंडर लेकर बच्चों का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे थे। निजी अस्पताल से सिलेंडर ले आने के कारण आक्सीजन के सरकारी बंदोवस्त की पोल खुल गयी थी जिसके चलते डॉ. खान निशाने पर आ गए थे। कमोबेश उत्तर प्रदेश मेंआक्सीजन की समस्या बनी हुई है, कोरोना काल में भी आक्सीजन कमी से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

विवादों में 20वीं सदी के तथाकथित महानायक



20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर अंधविश्वास फ़ैलाने के कारण सुर्खियों में रहे। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का अंधविश्वासों से पुराना नाता है, इससे पहले वे व्यक्तिगत राय रखते थे लेकिन सोनी टीवी के एक कार्यक्रम कौन बनेगा करोंड़पति में आँखों पर पट्टी बाँध कर सूंघ कर किताब पढ़ने का दावा करने वाली एक बच्ची वंशिका का शो प्रस्तुत किया और अविश्वसनीय और अद्भुत् बताया बताया। वंशिका ने बताया कि उसने ब्रेन एक्सरसाइज का कोर्स किया है। उसने अपने इस कारनामे का श्रेय एक संस्था द्वारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कार्यक्रम को दिया जिसमें एक इंद्री का कार्य दूसरी इंद्री द्वारा किया जा सकता है,जैसे नाक से सूंघ कर किताब पढ़ लेना।

अमिताभ बच्चन द्वारा केबीसी के माध्यम से फैलाये जा रहे इस अंधविश्वास के लिए छत्तीसगढ़ तर्कशील परिषद् के अध्यक्ष डॉ. आर. के. सुखदेवे ने कमलेश बी पटेल (हैप्पिनेस फाउंडेशन संस्था) को कानूनी नोटिस भेजी है। डॉ. सुखदेवे ने चुनौती दी कि यदि यही कारनामा उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो वे एक करोंड़ रुपये देंगें। डॉ. सुखदेवे ने कहा कि वास्तव में जब पट्टी बांधी जाती है नाक के बगल से दिखाई देता है, जिसे थोड़े से अभ्यास से आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने इसका प्रदर्शन दो बच्चियों लोकेश्वरी साहू और लक्ष्मी को 10 मिनट की ट्रेंनिंग के बाद, आँखों पर पट्टी बांध कर किया, जिसे यूटूब पर देखा जा सकता है।

डॉ. सुखदेवे ने बसावन इंडिया को बताया कि इस पूरी घटना के पीछे ठगों का एक गिरोह





काम कर रहा है। लोगों को मूर्ख बनाने के पीछे पीछे लाखों - करोड़ो डील होती है। कई संस्थाए हैं जो इस तरह का कार्य करती हैं जो व्यक्तित्व विकास के नाम पर लोगों से हजारों रुपये लेकर ऐसा करते हैं।

उन्होंने बताया की उम्र के साथ साथ मनुष्य का ब्रेन सामान्य रूप से बढ़ता है, एक उम्र के बाद ब्रेन की स्मरण शक्ति कम होती है।

मिड ब्रेन, मनुष्य के मष्तिष्क के बीच का भाग होता है, इन संस्थाओं ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम का नया शब्द गढ़ा है, 8 से 15 साल के बच्चों के ये संस्थाएं अपना आसान शिकार बनाती हैं और दावा करते हैं की विशेष योग पद्धति, म्युजिक सिस्टम और साउंड के द्वारा ब्रेन को एक्टिवेट करने और बच्चों की मष्तिष्क क्षमता बढ़ाने का दावा करते है और दावा करते हैं कि हम सेंस आर्गन का अल्टरनेटिव विकास का करते हैं, जो एक अंध विश्वास है। साथ ही बच्चों को झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। इससे दुनियों के लोग भारत पर हंस रहे है।

उमर खालिक की गिरफ़्तारी



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सभी पर फरवरी 2020 हिंसा का 'मास्टरमाइंड' होने का आरोप है। उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण देने का आरोपी है।

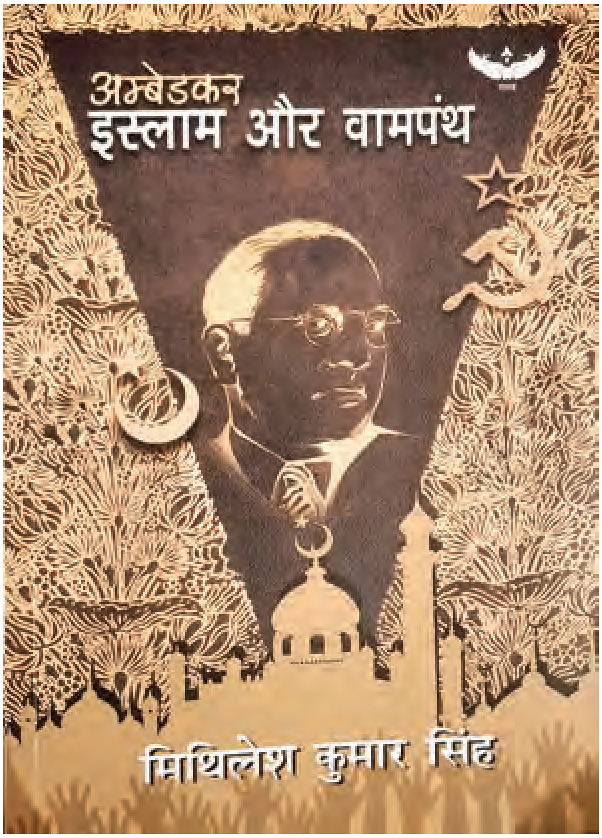
गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से बड़ी मात्रा मे हिरोइन बरामद



एनआईए ने अडाणी समूह द्वारा संचालित गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 2,988 किलो हेरोइन के जब्त की। एनआईए ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भारत में यह सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी है। इस मामले की अभी तक जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और DRI कर रही थी। टेल्कम पाउडर के नाम से आयातित हेरोइन की बाजार कीमत 21 हजार करोड़ रुपये है।

सावधान! सावधान! सावधान!

अंबेडकर इस्लाम और वामपंथ,
लेखक - मिथलेश कुमार सिंह



प्रथम दृष्टया यह अंबेडकरवादियों को आकर्षित कर सकती है लेकिन इस पुस्तक में अंबेडकर की आड़ लेते हुए, लेखक ने अपनी पूर्व मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। पुस्तक को गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि लेखक अंबेडकर के सहारे किसी खास विचारधारा का पोषण कर रहा है। यह पुस्तक कोई साहित्यिक दस्तावेज न होकर किसी खास विचारधारा का दस्तावेज है।

पुस्तक प्रारम्भिक पाठ में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्दोष बौद्धों और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या को जायज ठहराते हुए पुष्यमित्र को दोष मुक्त किया गया है। प्रस्तुत है इस पुस्तक की वो पंक्तिया-

ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में बौद्ध लोगों ने ग्रीक आक्रान्ताओं का खुले तौर पर साथ दिया था; जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग उनके प्रति वैसा बर्ताव करने के लिए बाध्य हुआ, जैसा कि देशद्रोहियों के प्रति किया जाता है। धर्म विजय की आड़ लेकर मौर्य राजा, देश की रक्षा के अपने कर्तव्य की जिस प्रकार उपेक्षा कर रहे थे। पुष्यमित्र को उससे बहुत उद्वेग हुआ। उसने यत्न किया कि मगध के शासनतंत्र को अपने कर्त्तव्य का बोध कराए; पर इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए उसने मौर्यों के निर्वीय शासन का अन्त किया। इन विवरणों से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र शुंग, राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि मानते हुए, अपने राजा की हत्या पर विवश हुआ था।

पुस्तक में भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए बौद्धों को जिम्मेदार ठराया गया है-

एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिन-जिन भागों में बौद्धों की संख्या ज्यादा थी, वहीं इस्लामीकरण अधिक हुआ। शायद इसका कारण ये हो कि बौद्ध धर्म के "अहिंसा परमोधर्मः" सिद्धांत के कारण बौद्धों में प्रतिरोध की प्रवृत्ति लुप्त हो गई हो और शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के बिखराव के लगभग 250 वर्षों के बाद इस्लाम आक्रमणकारी भारत में सफल होने लगे;

सन्दर्भ को गायब करते हुए डॉ. भीम राव अंबेडकर के माध्यम से शूद्रों का संबंध आज की ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों से जोड़ा गया है।डॉ. अंबेडकर की पुस्तक शूद्रों की खोज का हवाला देते हुए लिखा गया है कि –आज जो अछूत माने जाते हैं;वे हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शूद्र नही हैं। आज शूद्र कही जाने वाली जातियां वास्तव में कुछ और न होकर ब्राहमण और क्षत्रिय है।

इन्ही संदर्भो का हवाला देते हुए इस पुस्तक में भारतीय जाति व्यस्था और निचले पायदान पर खड़े मेहतरों के अस्पृश्य होने के पीछे मुगलों और तुर्कों को जिम्मेदार ठहराया गया है-

"मेहतरों के जीवन के सम्बन्ध में मैंने इधर थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है। मेहतर कोई जाति नहीं है। विजेता ने, विजितों को दास बनाकर उनसे जबरदस्ती मल-मूत्र उठवाना आरम्भ किया था। श्वपच-चाण्डाल आदि जातियाँ, सवर्ण नारियों के अपने से नीचे वर्णों से सम्भोग करने से उत्पन्न सन्तानों की श्रेणियों में आती हैं। अभिजात्य भाषा में 'पाप-दर-पाप-दर-पाप' तक की श्रेणियाँ विभाजित हैं। बिखरे हुए कबीले के कुछ कमजोर लोग भी दास-दासीवत् समझे जाते थे; जिनका खान-पान प्रचलित समाज के खान-पान से अलग होता था। ऐसे लोगों को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से बाद में, अस्पृश्य माना जाने लगा; और मुगलों-तुर्कों के समय में यह विजित-विजेता दम्भ-संघर्ष की पुरानी परम्परा में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। पहले शहरी घरों में, अधिकांश संडासें ही बनी थीं। किलों में ऐसे शौचालय बनते थे, जो पानी से ही स्वच्छ किए जाते थे; उन्हें कमाना नहीं पड़ता था।

शहरों में कमाने वाले पाखाने, गुलामों की बढ़ोत्तरी के अनुपात में बढ़े। भंगी समाज में बहुत से छोटे-मोटे पराजित राजकुलों के वंशधर भी मौजूद थे। विजेता के दम्भ ने विजितों के दम्भ को कुचलकर किस मानसिक गति में नाली के कीड़े की तरह बहा दिया है? तरह-तरह के जाति वर्गों से आए हुए कमजोर व्यक्ति, दास बनकर एक-से-एक अत्याचार भोगने पर बाध्य हुए।" अगर में बहुधा जातियाँ अस्पृश्य बनीं, तो ये सोचने वाली बात है कि उनके पास इस्लाम अपनाने का तो विकल्प था ही, फिर उन्होंने इतने निकृष्ट कार्य को क्यों स्वीकार किया? तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने अपना मूल धर्म नहीं छोड़ा और अपने धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस निकृष्टतम कार्य को करना भी स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा तथ्य है, जिस पर अगर गहन शोध किया जाए, तो इसकी पूरी संभावना है कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र एवं इतिहास की व्याख्या एक हद तक परिवर्तित हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है, तो यह वामपंथियों द्वारा स्थापित नैरेटिव के अनुकूल नहीं होगा; जो हिंदू समाज में व्याप्त सभी कुप्रथाओं के लिए तथाकथित ब्राह्मणवाद और मनु को ही दोषी ठहराते हैं।

▪ **प्रस्तुति - मिथलेश सिंह यादव**
Email : mithleshsingh.mithlesh09@gmail.com

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe
ACCEPTED HERE
Scan & Pay Using PhonePe App

☐ वार्षिक ₹ 300/- ☐ 2 वर्ष ₹ 500/- ☐ 5 वर्ष ₹ 1000/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

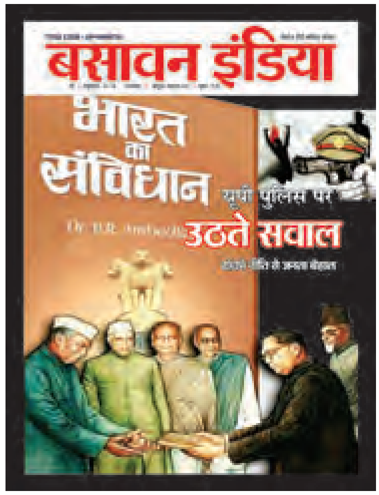
Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।





बसावन इंडिया मैगजीन राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर है। इसमें साहित्यिक लेखों की कमी खली, बगैर साहित्य के मैगजीन अधूरी लग रही है। कविता और ग़ज़ल के लिए भी जगह रखी जाय। यदि इसमें 2 पेज साहित्यिक लेखों के लिए रखा जाय तो मैगजीन पूर्ण हो जाएगी।

कृष्णवीर सिंह सिकरवार
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल,मध्यप्रदेश

बसावन इंडिया द्वारा चुने गए मुद्दे न सिर्फ बेहतरीन हैं, बल्कि वास्तविक समाज और समस्याओं का दस्तावेज़ भी हैं।इलाहाबाद की बसावट से जुड़ा मुद्दा हो , किसान व्यथा हो या चरवाहा विश्व विद्यालय की कल्पित रूपरेखा, सभी मुद्दे, बातें व तथ्य प्रत्येक वर्ग के जन मानस को उद्वेलित करने की क्षमता रखते हैं। बसावन इंडिया के पहले अंक में आज़मगढ़ जिले में राजनीतिक भागीदारी का लेख सोचने पर विवश करता है। समाज की आत्मा की आवाज़ बनने के इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं "बसावन इंडिया" की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए. इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

विजय कुमार सिंह
अयोध्या, यू.पी.

बसावन इंडिया पत्रिका भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति के जकड़न की समस्याओं को प्रस्तुत कर रही है काबिले तारीफ है। सामाजिक मुद्दा हो या धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में मैगजीन संतुलित है। शिक्षा नीति के पन्नो पर चर्चा भी बहुत बेहतरीन रही। चरवाहा विवि का विचार भी गज़ब का था। पत्रिका के आगामी अंक का बेसब्री से इंतजार रहता है साथ ही यह उत्सुकता बनी रहती है कि अगले अंक में किस विषय का विश्लेषण होगा।पत्रिका के लेख एक लेख दूसरे से बढ़ कर है। बसावन इंडिया को उसके साहसिक प्रयासों के लिए उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूं पत्रिका अपना तेवर ऐसे ही बनाये रखेगी।

श्रुतिकीर्ति सिंह
रंगमंच कलाकार, लखनऊ

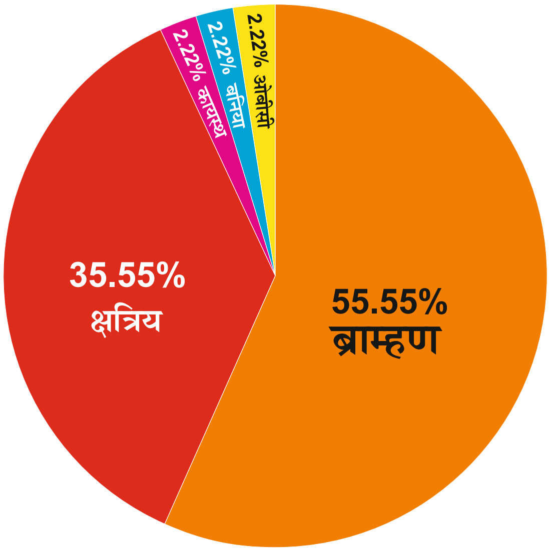
पिछले महिने की बसावन इंडिया पत्रिका एक मित्र के हाथ से होते हुए मेरे पास पहुंची !यह पत्रिका पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी न्यूजों को समेटी है या यूं कहें आज की पत्रिकाओं में गरीब-मजदूर, छात्र-नौजवान, किसान-खेतिहर, छात्राओं-महिलाओं की जगह पूंजीवादी विज्ञापन ने लिया है,उस साजिशपूर्ण चलाकी का पर्दाफाश करते हुए बसावन इंडिया उन सब की आवाज बनकर न्याय कर रही है,उन सब की आवाज बन रही है,जो चकाचौंध में गायब कर दिए जाते हैं,बसावन इंडिया हमारे मन में रच-बस गई है !यह पत्रिका हर पढ़ने वाले के मन में रच-बस जाएगी !मेरी असीम शुभकामनाएं संपादक नरेन्द्र प्रताप जी के साथ !

राजेश भारती
गाजीपुर, यू.पी.

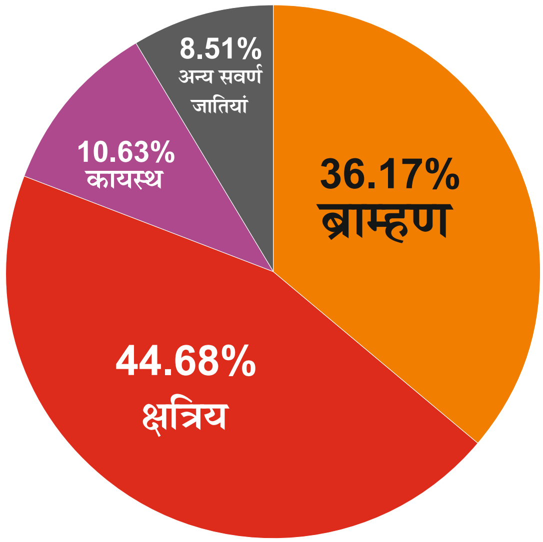
मित्र व बसावन इंडिया पत्रिका के प्रधान संपादक नरेन्द्र भाई से कई महीनों बाद मुलाकात हुई।आजमगढ़ से निकलने वाली राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक मूल्यों को समर्पित पत्रिका बसावन इंडिया की तीन अंक भेंट स्वरूप मुझे प्रदान किये।आजमगढ़ के पवई जैसे ग्रामीणांचल से निकल कर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे नरेंद्र भाई ने कंटेंट से लेकर हर स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ग्रामीण भारत की आत्मा को आत्मसात करती हुई ये पत्रिका,देश के विभिन्न क्षेत्रों को अपने में समाहित कर, देश के बड़े मीडिया घरानों की पत्रिकाओं को कड़ी टक्कर देते हुए सम्पूर्णता को प्राप्त हुई है। बसावन इंडिया परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं व नरेंद्र भाई को बहुत बहुत साधुवाद।
प्रतिक्रिया - फेसबुक

डॉ रमेश यादव
यादवेन्द्र, अमेठी यूपी

भाजपा सरकार में डिप्टी एस.पी.



पीसीएस 2017 के डिप्टी एस.पी. के अनारक्षित सीटों पर हिस्सेदारी

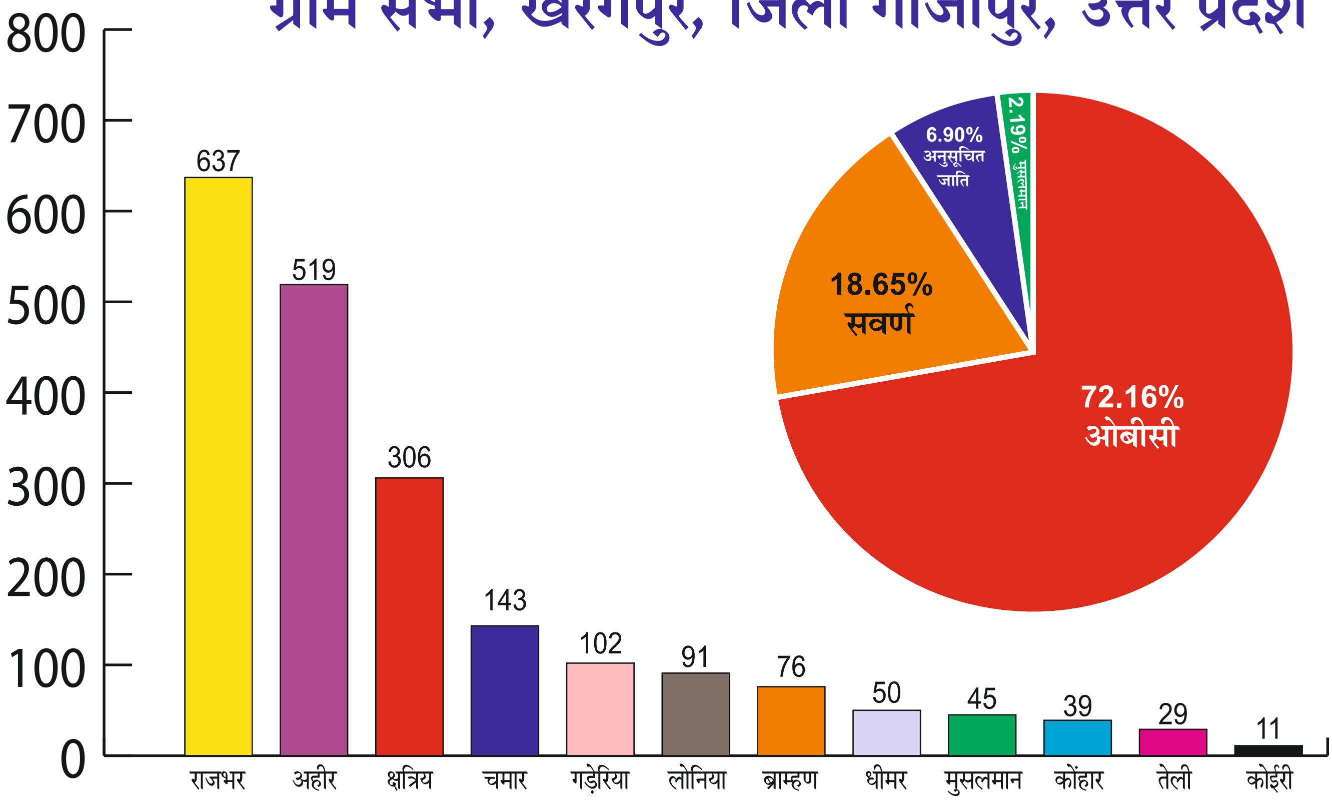


पीसीएस 2018 के डिप्टी एस.पी. के अनारक्षित सीटों पर हिस्सेदारी

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 4 पढ़ें।

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम सभा, खरगपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश



प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 12 पढ़ें।